2021 में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का विश्लेषण

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जनवरी, 2021 को संसद को संबोधित किया था।[1] अपने अभिभाषण में उन्होंने केंद्र सरकार की मुख्य नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया था। इस नोट में राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुख्य विषयों और उन विषयों के संबंध में की गई पहल की मौजूदा स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। 18 जनवरी, 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इसे तैयार किया गया है। आंकड़ों के स्रोत एंड नोट्स में दर्ज किए गए हैं।

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td colspan="2">अर्थव्यवस्था एवं वित</td></tr>
<tr><td>भारत विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। अप्रैल और अगस्त 2020 के दौरान भारत में 36 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है।</td><td>

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई): 2021-22 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में एफडीआई प्रवाह 31 बिलियन USD रहा, जबकि 2020-21 और 2019-20 में इसी अवधि के दौरान यह क्रमशः 30 बिलियन USD और 26 बिलियन USD रहा।[2,3,4]

तालिका 1: 2015-16 और 2021-22 के बीच एफडीआई प्रवाह[2]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22 (सितंबर 2021 तक)</th></tr>
<tr><td>एफडीआई प्रवाह (बिलियन USD में)</td><td>40</td><td>43.47</td><td>44.85</td><td>44.36</td><td>49.97</td><td>59.63</td><td>31.15</td></tr>
<tr><td>वृद्धि का %</td><td>35%</td><td>9%</td><td>3%</td><td>-1%</td><td>13%</td><td>19%</td><td>-</td></tr>
</table>

विदेशी मुद्रा भंडार: जनवरी 2022 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633 बिलियन USD पर पहुंच गया, जोकि जनवरी 2021 में 585 बिलियन USD के मुकाबले 8% अधिक है।

तालिका 2: प्रत्येक वर्ष जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार [5]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr>
<tr><td>विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन USD में)</td><td>349</td><td>360</td><td>414</td><td>397</td><td>461</td><td>585</td><td>633</td></tr>
<tr><td>पिछले वर्ष से परिवर्तन का %</td><td>8.4%</td><td>3.2%</td><td>15.0%</td><td>-4.1%</td><td>16.1%</td><td>26.9%</td><td>8.2%</td></tr>
</table>
विदेशी व्यापार: अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच भारत के निर्यात में 2020 में इसी अवधि की तुलना में 36% की वृद्धि हुई और यह 479.07 बिलियन USD हो गया, जबकि आयात में 57% की वृद्धि हुई और यह 547.12 बिलियन USD हो गया।[6]
</td></tr>
</table>

शशांक श्रीवास्तव
shashank@prsindia.org

27 जनवरी, 2022

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>राशन कार्ड्स का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूरा हो गया और 90 प्रतिशत आधार से लिंक कर दिए गए।</td><td>▪ 5 जनवरी, 2022 तक 132 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए (2021 के लिए अनुमानित जनसंख्या के आधार पर भारत की 97% आबादी)।[7,8] 3 दिसंबर, 2021 तक परिवार के कम से कम एक सदस्य के 93% से अधिक राशन कार्ड्स को आधार से लिंक किया गया।[9] 2014-21 के बीच करीब 4.28 करोड़ बोगस राशन कार्ड्स को रद्द किया गया।[10]</td></tr>
<tr><td>41 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए जिससे गरीब लोगों को बैंकिंग प्रणाली का लाभ मिल सके।</td><td>▪ जनवरी 2022 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 44.3 करोड़ खाते खोले गए। इस योजना को 2014 में शुरू किया गया था। इसमें कुल जमा राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए है। इन खातों में से 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं।[11]
तालिका 3: जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते [11]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>जन-17</th><th>जन-18</th><th>जन-19</th><th>जन-20</th><th>जन-21</th><th>जन-22</th></tr>
<tr><td>खोले गए खातों की संख्या (करोड़ में)</td><td>6.84</td><td>3.72</td><td>3.1</td><td>3.68</td><td>3.76</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>जमा की गई राशि (रुपए लाख करोड़ में)</td><td>0.67</td><td>0.74</td><td>0.87</td><td>1.11</td><td>1.35</td><td>1.5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>पिछले छह वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए लाभार्थियों को 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई।</td><td>▪ 24 जनवरी 2022 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 20,91,401 करोड़ रुपए का कुल हस्तांतरण किया गया।[12] अप्रैल 2021 और जनवरी 2022 के बीच 312 योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को डीबीटी कार्यक्रम के जरिए 4.53 लाख करोड़ रुपए संवितरित किए गए।[12] सरकारी अनुमानों के अनुसार, इससे 2.23 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।[12]
तालिका 4: डीबीटी के जरिए वितरित राशि[12]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22 (जनवरी 2022 तक)</th></tr>
<tr><td>लाभार्थियों की संख्या (करोड़ में)</td><td>31.2</td><td>35.7</td><td>124</td><td>129.2</td><td>144.7</td><td>179.9</td><td>146.7</td></tr>
<tr><td>डीबीटी के जरिए वितरित राशि (करोड़ रुपए में)</td><td>61,942</td><td>74,689</td><td>1,90,871</td><td>3,29,796</td><td>3,81,631</td><td>5,52,527</td><td>4,53,667</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">उद्योग</td></tr>
<tr><td>ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में रिकॉर्ड सुधार</td><td>▪ विश्व बैंक ने अगस्त 2020 में अनियमितताओं के चलते वार्षिक 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट के रद्द कर दिया था और इन अनियमितताओं की जांच जारी है।[13] अक्टूबर 2019 में जारी अंतिम रिपोर्ट में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर था।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>हुआ है। अब अनुपालन के बोझ को कम करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।</td><td>भारत उन शीर्ष दस देशों में से एक था, जहां मुख्य रूप से व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट हासिल करने, सीमा पार व्यापार करने और इनसॉल्वेंसी का समाधान करने से संबंधित परिवर्तन और सुधार किए गए। उल्लेखनीय है विश्व बैंक ने 2018 और 2020 के संस्करणों में डेटा में अनियमितता पाए जाने के बाद इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया है।[14]
▪ केंद्र सरकार ने 2018 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बिजनेस रिफॉर्म ऐक्शन प्लान (बीआरएपी) के अंतर्गत 180 सुधारों की सूची अधिसूचित की है जिन्हें 2019 तक लागू करना था।[15] बीआरएपी के अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओड़िशा, सिक्किम, त्रिपुरा और चंडीगढ़ सबसे निचली पायदान पर रहे।[16]
▪ जनवरी 2021 में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल को शुरू किया।[17] इस पोर्टल का लक्ष्य शहरों, उद्योगों तथा सरकार के बीच सेतु के रूप में काम करना है ताकि बोझिल अनुपालनों को कम किया जा सके। यह सभी केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय अनुपालनों की अनूठी केंद्रीय ऑनलाइन रेपोजिटरी के तौर पर भी काम करेगा।</td></tr>
<tr><td>भारत विश्व पर्यटन रैंकिंग में 65 से 34वें स्थान पर पहुंच गया है।</td><td>▪ 2019 में भारत ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपीटीटिवनेस रिपोर्ट में 34वें स्थान पर पहुंच गया। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है।[18] भारत की रैंकिंग छह अंकों से सुधरी है, 2017 में यह 40वें स्थान पर था।</td></tr>
<tr><td>मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोन्स दिए गए हैं और इनमें से लगभग 70% लोन्स महिला उद्यमियों को मिले हैं।</td><td>▪ गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण देने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ऋण की तीन श्रेणियां हैं: (i) 'शिशु' (50 हजार रुपए से कम के ऋण), (ii) 'किशोर' (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच के ऋण), और (iii) 'तरुण' (5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के बीच के ऋण)। 26 नवंबर, 2021 तक देश में एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और महिला उद्यमियों सहित कुल 32.11 करोड़ लोगों को ऋण दिए गए, जिसमें से 21.74 करोड़ ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए (68%)।[19]
तालिका 5: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण[20]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22 (2022 जनवरी तक)</th></tr>
<tr><td>मंजूर ऋणों की संख्या (करोड़ में)</td><td>3.5</td><td>4.0</td><td>4.8</td><td>6.0</td><td>6.2</td><td>5.1</td><td>3.1</td></tr>
<tr><td>अनुमोदित राशि (लाख करोड़ रुपए में)</td><td>1.4</td><td>1.8</td><td>2.5</td><td>3.2</td><td>3.3</td><td>3.2</td><td>1.9</td></tr>
<tr><td>संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)</td><td>1.3</td><td>1.8</td><td>2.5</td><td>3.1</td><td>3.3</td><td>3.1</td><td>1.8</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन, निवेश सीमा में वृद्धि या सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसे उपायों के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योगों के विकास को अपेक्षित गति मिली है। 3,00,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना, संकट में एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना और फंड ऑफ फंड जैसी पहल से लाखों लघु उद्योगों को लाभ हुआ है।</td><td>

सरकार ने जून 2020 में एमएसएमईज़ में निवेश की अधिकतम सीमा में संशोधन किया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट, 2006 में फर्म के वार्षिक कारोबार के आधार पर एक नया मानदंड स्थापित किया।[21] नई परिभाषा में यह भी कहा गया है कि 2006 के एक्ट के अनुसार सेवा और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वर्गीकरण के विपरीत, दोनों क्षेत्रों के एमएसएमई में निवेश सीमा एक समान होगी।[22]
नए उद्यमों के मामले में संयंत्र और मशीनरी में निवेश की गणना पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न या उद्यम के प्रमोटर की स्व-घोषणा से जुड़ी होगी। टर्नओवर की जानकारी जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) से जुड़ी होगी। एक ही स्थायी खाता संख्या से सूचीबद्ध जीएसटीआईएन वाली सभी इकाइयों को सामूहिक रूप से कारोबार और निवेश के आंकड़ों के लिए एक उद्यम के रूप में माना जाएगा।[23]

तालिका 6: एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन (आंकड़े रुपए में हैं)[22]
<table>
<tr><th rowspan="3">उद्यम</th><th colspan="2">वार्षिक टर्नओवर</th><th colspan="3">निवेश की सीमा</th></tr>
<tr><th colspan="2">निवेश की पूर्व सीमा</th><th rowspan="2">निवेश की संशोधित सीमा</th></tr>
<tr><th>2006 एक्ट</th><th>संशोधित</th><th>सेवा क्षेत्र</th><th>मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र</th></tr>
<tr><td>सूक्ष्म</td><td>5 करोड़ तक</td><td>5 करोड़ तक</td><td>10 लाख तक</td><td>25 लाख</td><td>1 करोड़ तक</td></tr>
<tr><td>लघु</td><td>5 से 75 करोड़</td><td>5- 50 करोड़</td><td>10 लाख से 2 करोड़</td><td>25 लाख से 5 करोड़</td><td>1 से 10 करोड़</td></tr>
<tr><td>मध्यम</td><td>75 से 250 करोड़</td><td>50- 250 करोड़</td><td>2 से 5 करोड़</td><td>5 से 10 करोड़</td><td>10 से 50 करोड़</td></tr>
</table>

मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) की मदद के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत भी उपायों की घोषणा की, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉरपस के साथ फंड बनाना ताकि एमएसएमई को विकास क्षमता और वायबिलिटी के लिए इक्विटी फंडिंग मिले, (ii) एमएसएमईज़ को बैंकों और एनबीएफसीज़ से अपने संपूर्ण बकाया ऋण का 20% तक उधार लेने की अनुमति, जिसकी गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, (iii) स्ट्रेस्ड एसेट्स वाले एमएसएमईज़ को इक्विटी के बदले ऋण देना, और (iv) सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एमएसएमईज़ पर बकाये भुगतान को 45 दिनों में जारी करना।[24,25,26,27]

</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	▪ मई 2020 में सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम, 2017 को अधिसूचित किया जिसमें निर्दिष्ट था कि कुछ मामलों में सिर्फ कैबिनेट से पूर्व मंजूरी के साथ 200 करोड़ रुपए के ग्लोबल टेंडर्स को अधिसूचित किया जा सकता है।[28] सरकारी खरीद अनुबंधों में स्थानीय सप्लायर्स को वरीयता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 में संशोधन किए गए। 2017 के आदेश में स्थानीय कंटेंट की मात्रा के आधार पर सप्लायर्स को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया था: (i) श्रेणी-I स्थानीय सप्लायर्स (50% या अधिक), (ii) श्रेणी-II स्थानीय सप्लायर्स (20%-50%), और (iii) गैर स्थानीय सप्लायर्स (20% से कम)। संशोधनों में कहा गया है कि श्रेणी-I सप्लायर्स से खरीद में वरीयता उन टेंडर्स पर लागू होगी जहां कई बोलीकर्ताओं को ठेका दिया जाता है। निम्नलिखित के जरिए वरीयता दी जाएगी (i) जहां पर्याप्त स्थानीय क्षमता होगी, वहां दूसरे सप्लायर्स को भाग लेने से रोककर, और (ii) यह सुनिश्चित करते हुए कि कम से कम 50% ठेके श्रेणी I के सप्लायर्स पूरे करें। अगर स्थानीय क्षमता पर्याप्त न हो तो विदेशी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे ठेकों में वे किसी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम के जरिए ही भाग ले सकते हैं।[29] ▪ इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 के अंतर्गत इनसॉल्वेंसी को हल करने की एक समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की गई है। जून 2020 में इस संहिता में निम्नलिखित संशोधन किए गए: (i) 25 मार्च, 2020 और मार्च 2021 के बीच होने वाले डीफॉल्ट्स के लिए इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने पर प्रतिबंध, और (ii) इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करना।[30,31,32,33,34] 4 अप्रैल, 2021 को इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया। इसने इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 में संशोधन किए ताकि कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपीज़) को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान की जा सके। इसने एमएसएमईज़ के लिए वैकल्पिक इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया भी शुरू की जिसे प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (पीआईआरपी) कहा जाता है। पीआईआरपीज़ को 120 दिनों में पूरा करना होता है, जबकि सीआईआरपीज़ को 330 दिनों में पूरा करना होता है।[35] 31 सितंबर, 2021 तक कुल 4,708 सीआईआरपीज़ को शुरू किया गया और इनमें से 3,068 को बंद कर दिया गया है। बंद होने वाली सीआईआरपीज़ में से 701 को अपील या समीक्षा या निपटान पर बंद कर दिया गया है, 527 वापस ले ली गई हैं, 1,419 लिक्विडेशन के आदेश में खत्म हो गई हैं और उनमें से 421 रेज़ोल्यूशन प्लान के अनुमोदन में समाप्त हो गई हैं।[36]

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>ग्रामीण क्षेत्रों में साढ़े तीन लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स लोगों को सरकारी सेवाओं से जोड़ रहे हैं।</td><td>

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य पब्लिक यूटिलिटी सेवाओं, समाज कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय या शिक्षण सेवाओं के वितरण का एक्सेस प्वाइंट होता है। 2009 में सीएससी को शुरू किया गया था ताकि सुदूर क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर ई-सर्विसेज़ की डिलिवरी सुनिश्चित की जा सके, जहां इंटरनेट और कंप्यूटर पर्याप्त उपलब्ध नहीं हैं। अक्टूबर 2021 तक भारत में 4.18 लाख से अधिक सीएससीज़ काम कर रहे थे जिनमें से 3.26 लाख सीएससीज़ ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे थे।[37]

तालिका 7: 2016-17 और 2020-21 के दौरान ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर सीएससीज़[37,38,39]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22 (अक्टूबर 2021 तक)</th></tr>
<tr><td>जीपी स्तर पर परिचालित सीएससीज़ की संख्या</td><td>1,33,266</td><td>1,80,649</td><td>2,28,547</td><td>2,70,132</td><td>2,78,058</td><td>3,25,721</td></tr>
<tr><td>परिचालित सीएससीज़ की संख्या में वृद्धि</td><td></td><td>35.5%</td><td>26.5%</td><td>18.2.%</td><td>3%</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>देश में पहली बार 10 मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना को लागू किया जा रहा है।</td><td>

तालिका 8 में 2014-21 के दौरान भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूल्य में बढ़ोतरी को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 8: इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उत्पादन[40,41,42]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2014-15</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th></tr>
<tr><td>भारत में बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का मूल्य (करोड़ रुपए में)</td><td>1,90,366</td><td>2,43,263</td><td>3,17,331</td><td>3,88,306</td><td>4,58,006</td><td>5,33,550</td><td>4,97,484</td></tr>
<tr><td>वृद्धि दर (%)</td><td>5.5%</td><td>27.8%</td><td>30.4%</td><td>22.4%</td><td>17.9%</td><td>16.4%</td><td>-6.8%</td></tr>
</table>
नोट: 2020-21 का डेटा अनंतिम अनुमानों पर आधारित है।

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग हब है। सरकार के अनुसार, 2014 से 2019 के बीच मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स की संख्या दो से बढ़कर 200 से अधिक हो गई और निर्मित हैंडसेट्स की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 29 करोड़ हो गई।[43] इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन्स का निर्यात 2017-18 में 0.2 बिलियन USD से बढ़कर 2021 (अप्रैल 2021-सितंबर 2021) में 1.7 बिलियन USD हो गया।[44]
मार्च 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तीन योजनाओं को मंजूरी दी: (i) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना (पीएलआई), (ii) मॉडिफाइड

</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम (ईएमसी 2.0), और (iii) स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेट्स एंड सेमीकंडक्टर्स (स्पेक्स)। इन योजनाओं के दिशानिर्देश जून, 2020 में जारी किए गए।[45,46,47] ये तीनों योजनाएं 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास करेंगी। मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग के लिए योजना का कार्यकाल एक वर्ष यानी 2025-26 तक बढ़ा दिया है। दिसंबर 2021 तक उपरोक्त तीन योजनाओं के लिए क्रमश: 16, 1 और 2 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।[48] ▪ फरवरी 2021 में सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पाद मैन्यूफैक्चरिंग के लिए पांच वर्षों हेतु 12,195 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली पीआईएल योजना को अधिसूचित किया।[49] योजना के अंतर्गत कुल 31 आवेदकों को पात्र पाया गया है और उन्हें मंजूरी दी गई है। अप्रैल 2021 में कैबिनेट ने व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के घटकों और उप-संयोजनों का निर्माण) के लिए एक पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना को 2021-22 से 2028-29 तक 6,238 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सात साल की अवधि में लागू किया जाना है।[50] नवंबर 2021 तक 52 कंपनियों ने योजना के अंतर्गत 5,858 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध निवेश के साथ अपना आवेदन दायर किया। इनमें से 42 आवेदकों का अस्थायी रूप से चुन लिया गया है। अक्टूबर 2021 में स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना अधिसूचित की गई थी। इसका परिव्यय 6,322 करोड़ रुपए है, जो पांच वर्षों में जारी किया जाएगा।[51] ▪ दिसंबर 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी विभाग ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को अधिसूचित किया।[52] इनका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में उच्च घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। मुख्य विवरण में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सेमीकंडक्टर डिजाइन की 100 घरेलू कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी (इसके दायरे में इंटीग्रेटेड सर्किट्स के डिजाइन, चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम्स और सेमीकंडक्टर-लिंक्ड डिज़ाइन शामिल हैं), (ii) इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर्स के लिए फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता छह वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी[53,54] (iii) एक स्वतंत्र और विशेष सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया जाएगा, और (iv) अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय एससीएल के आधुनिकीकरण और कमर्शियलाइजेशन के लिए मंत्रालय जरूरी कदम उठाएगा।[55] उपरोक्त कार्यक्रमों का कुल परिव्यय 76,000 करोड़ रुपए अनुमानित है।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	▪ टेक्सटाइल मंत्रालय ने सितंबर 2021 में टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) को अधिसूचित किया।[56] इस योजना का उद्देश्य प्रोत्साहन के माध्यम से कुछ मानव निर्मित फाइबर एपेरल और फैब्रिक, और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के दस खंडों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह योजना 2022-30 तक वैध है। योजना के अंतर्गत कुल खर्च 10,683 करोड़ रुपए होगा। तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अब तक इस योजना में रुचि दिखाई है।[57] ▪ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी।[58] इस योजना को तीन वित्तीय वर्षों (2021-22 से शुरू) में 120 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह योजना केवल उन मैन्यूफैक्चरर्स के लिए उपलब्ध है जो एक वर्ष में अपने बिक्री कारोबार का कम से कम 40% का मूल्य संवर्धन प्राप्त करते हैं। मैन्यूफैक्चरर्स को हर साल मूल्य संवर्धन के 20% तक इनसेंटिव प्रदान किया जाएगा। प्रति मैन्यूफैक्चरर इनसेंटिव की सीमा 30 करोड़ रुपए होगी, जो कुल वित्तीय परिव्यय का 25% है। ▪ भारी उद्योग मंत्रालय ने सितंबर 2021 में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी।[59,60,61] इस योजना के अंतर्गत पात्र कंपनियों को घरेलू स्तर पर निर्मित उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर इनसेंटिव मिलेगा। यह योजना 2022-23 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों में लागू की जाएगी। इस योजना के कुल परिव्यय में पांच वर्षों में 25,938 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। ▪ सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए 12 मई, 2021 को एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। बैटरी की कीमतों में गिरावट से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कीमतों में भी कमी आएगी।[62]
स्वास्थ्य	
इन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य प्रणालियों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ	▪ **अनुमोदित वैक्सीन्स:** वर्तमान में भारत में तीन वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं- (i) सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की विकसित की हुई कोविशील्ड, (ii) भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन, और (iii) डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेट्रीज़ और स्पूतनिक एलएलसी द्वारा विकसित स्पूतनिक वी।

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>बीमारियों की रोकथाम पर भी जोर दिया गया।</td><td>

मई 2021 में दो से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में पीडियाट्रिक ट्रायल्स के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई।[63]
भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल (डीजीसीआई) ने 29 जून, 2021 को मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन को सीमित प्रतिबंधित इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी।[64] इस वैक्सीन को दिसंबर 2020 में युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया था।[65]
अगस्त 2021 में भारत में दो और वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया ये हैं:[66,67] (i) जेनसेन (जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा विकसित), और (ii) जायकोवि-ड (जायडस कैडिला द्वारा विकसित)। इन वैक्सीन्स को 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। जायकोवि-ड को 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाया जा सकता है।
दिसंबर 2021 में भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल (डीजीसीआई) ने दो और वैक्सीन्स, कोरबेवैक्स और कोवोवैक्स तथा कोविड-19 के लिए एंटी वायरल ड्रग मोलनुपिराविर के सीमित उपयोग के लिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया।[68] उल्लेखनीय है कि कोवैक्सीन को 15-18 वर्ष के बच्चों को लगाया जा सकता है। इसे दिसंबर 2021 में 12-18 वर्ष के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया।

तालिका 9: वैक्सीन्स का विवरण
<table>
<tr><th>नाम</th><th>कंपनी</th><th>निर्धारित अंतराल</th><th>डब्ल्यूएचओ से अनुमोदन</th><th>प्रभाव की दर</th></tr>
<tr><td>कोविशील्ड</td><td>सीरम इंस्टीट्यूट ऑर इंडिया</td><td>12-16 हफ्ते*</td><td>मूल्यांकन और स्वीकृत</td><td>70.42% विदेशी क्लिनिकल अध्ययनों पर आधारित</td></tr>
<tr><td>कोवैक्सीन</td><td>भारत बायोटेक</td><td>चार-छह हफ्ते</td><td>मूल्यांकन और स्वीकृत</td><td>77.8% अंतरिम ट्रायल्स पर आधारित</td></tr>
<tr><td>स्पूतनिक वी</td><td>डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेट्रीज़ और स्पूतनिक एलएलसी</td><td>तीन हफ्ते</td><td>क्लिनिकल डेटा का रोलिंग सबमिशन चालू</td><td>91.6% रूस में किए गए क्लिनिकल अध्ययनों पर आधारित</td></tr>
</table>
नोट: *कोविशील्ड के लिए निर्धारित अंतराल मई 2021 में चार से छह सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह कर दिया गया था।
स्रोत: डब्ल्यूएचओ ईयूएल/पीक्यू मूल्यांकन प्रक्रिया के भीतर कोविड-19 वैक्सीन्स की स्थिति, डब्ल्यूएचओ, 2 जुलाई, 2021; वैक्सीन सूचना, आईसीएमआर, अंतिम बार 14 जुलाई, 2021 को एक्सेस किया गया; पीआरएस
</td></tr>
</table>

तालिका 10: भारत में वैक्सीनेशन अभियान के चरण (जनवरी 2022 तक)[69]

तारीख	समूह
16 जनवरी, 2021	स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन वर्कर्स सहित प्राथमिक समूह के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया
1 मार्च, 2021	निम्नलिखित के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया: (i) 60 वर्ष से अधिक के सभी लोग, और (ii) को-मॉरबिडिटी* वाले 45 वर्ष से अधिक के लोग
1 अप्रैल, 2021	45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया
1 मई, 2021	18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया
21 जून, 2021	टीकों की केंद्रीकृत खरीद और सभी वयस्कों के लिए मुफ्त वैक्सीन का प्रावधान
3 जनवरी, 2022	15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू,; प्राथमिकता प्राप्त समूहों के लिए ऐहतियाती डोज़

नोट: * को-मॉरबिडिटी में दिल का दौरा, सांस संबंधी बीमारियां और लिम्फोमा शामिल हैं।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; पीआरएस।

- **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा**: आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य और कल्याण देखभाल केंद्र (एचडब्ल्यूसीज़) स्थापित करने का प्रयास करती है जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं और इसके दायरे में मातृ, बाल स्वास्थ्य सेवा और गैर-संचारी रोग हैं। बजट घोषणा 2017-18 के अनुसार, दिसंबर, 2022 तक 1.5 लाख उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एचडब्ल्यूसी में तब्दील किया जाना है।[70] दिसंबर 2021 तक 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 80,764 एचडब्ल्यूसी स्थापित किए गए हैं।[71] इनमें 54,707 उप स्वास्थ्य केंद्र, 21,894 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4,163 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। 2021-22 के बजट में इस योजना के लिए 1900 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।[72]
- **कोविड-19 संबंधी व्यय**: अप्रैल 2020 में स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी।[73] सितंबर 2020 में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 14,232 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई थी।[74] पैकेज निम्नलिखित पर केंद्रित है: (i) निदान और कोविड-19 केंद्रित उपचार सुविधाएं, (ii) आवश्यक चिकित्सा उपकरण और दवाओं की खरीद, (iii) राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, (iv) प्रयोगशालाओं की स्थापना, (v) अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, और (vi) निगरानी और जोखिम संचार को बढ़ावा देना।[75]
- जून 2021 में बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल पर विशेष जोर देने के साथ अल्पकालिक आपातकालीन तैयारियों पर केंद्रित एक नई योजना की घोषणा की गई थी। एक वर्ष के लिए 23,123 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका उपयोग निम्नलिखित के

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	लिए करना था (i) मानव संसाधनों की अल्पकालिक वृद्धि, (ii) आईसीयू बेड, चिकित्सा उपकरण, दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाना और (iii) टेस्टिंग, निगरानी और जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता को मजबूत करना।[76] ▪ जिन क्षेत्रों में पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध नहीं, (गैर-महानगरीय शहरों) वहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी की घोषणा की गई थी। गारंटी कवर मेट्रोपॉलिटन शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में स्वास्थ्य/मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और नई परियोजनाओं, दोनों के लिए उपलब्ध होगा। विस्तार के लिए 50% गारंटी कवर (आकांक्षी जिलों के लिए 75%) और नई परियोजनाओं के लिए 75% गारंटी कवर होगा। अधिकतम 7.95% की ब्याज दरों पर तीन साल तक की गारंटी के लिए 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।[77] ▪ 2020-21 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 360 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है (संशोधित अनुमान)। वित्त मंत्रालय ने 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।[78] ▪ **स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर**: अक्टूबर 2021 में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई थी। यह अगले चार से पांच वर्षों के भीतर पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास करता है।[79] मिशन के तीन प्रमुख पहलू हैं: (i) नैदानिक नेटवर्क का विकास, (ii) मौजूदा शोध संस्थानों का विस्तार, और (iii) निदान और उपचार के लिए सुविधाएं प्रदान करना। ▪ 12 जनवरी, 2022 तक आईसीएमआर को रिपोर्ट करने वाली 3,141 चालू टेस्टिंग लैब्स हैं।[80] यह मार्च 2020 (79) की तुलना में काफी अधिक है।[81] 15 जनवरी, 2022 तक कोविड-19 के लिए कुल 70.2 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।[82] ▪ 23 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथॉरिटी (एनएचए) ने यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई) के डिजाइन और कार्यक्षमता पर टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया। यूएचआई को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) की एक फाउंडेशनल लेयर के रूप में प्रस्तावित किया गया है और इसमें ओपन प्रोटोकॉल के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की इंटरऑपरेबिलिटी का विस्तार करने की कल्पना की गई है। यूएचआई का लक्ष्य ऐसी सेवाओं को सक्षम करने वाले टेक्नोलॉजी पाथवे के जरिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अनुभव को सुव्यवस्थित करना है।[83]

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	एनडीएचएम एक कुशल, सुलभ, समावेशी, वहनीय, समयोचित और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सहयोग देने वाला एक स्वायत्त सरकारी निकाय है। ▪ स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिए ड्राफ्ट नियम अगस्त, 2020 में जारी किए गए थे। यह एनडीएचएम के लागू होने के बाद डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं: (i) यह एनडीएचएम में शामिल सभी संस्थाओं पर लागू होता है, (ii) यह पर्सनल डेटा की सुरक्षित प्रोसेसिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है, (iii) डेटा प्रिंसिपल्स को पूर्ण नियंत्रण और निर्णय लेने की शक्ति देता है, और (iv) व्यक्तियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के डेटा होल्ड करने के लिए एक नई स्वास्थ्य आईडी बनाने की अनुमति देता है।[84] ▪ सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को शुरू किया।[85] प्रत्येक नागरिक को डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी दी जाएगी। किसी भी स्वास्थ्य रिकॉर्ड के नुकसान से बचने के लिए नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से स्टोर किया जाएगा। नागरिकों के पास चिकित्सकों के साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने के लिए अपनी सहमति देने का विकल्प होगा। ▪ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में छह वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई थी।[86] इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं: (i) 28,812 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहयोग देना, (ii) 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करना, (iii) 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना, (iv) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को मजबूत करना, (v) 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन, और (vi) 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र और दो मोबाइल अस्पताल स्थापित करना। ▪ योजना देश में लेबोरेट्रीज़ और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान को मजबूती देने का भी प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्थापित करना प्रस्तावित है: (i) सभी जिलों में इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, (ii) वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, (iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, (iv) नौ बायो सेफ्टी लेवल- तीन लैब्स, और (v) चार क्षेत्रीय राष्ट्रीय विरोलॉजी संस्थान।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 75 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज।	▪ योजना गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती करने पर प्रति परिवार पांच लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। 2021-22 में योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जो कि 2020-21 के 3,100 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 106% अधिक है। 12 जनवरी 2022 तक इस योजना के अंतर्गत 2.6 करोड़ लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया।[87] उल्लेखनीय है कि यह योजना गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों को लक्षित है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के अनुसार शहरी श्रमिक परिवारों की व्यावसायिक श्रेणी की पहचान करती है। ▪ 15वें वित्त आयोग की एक अध्ययन रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों के लिए पीएमजेएवाई पर मांग और व्यय का अनुमान लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि 2019 के लिए पीएमजेएवाई की कुल लागत (केंद्र और राज्य) 28,000 करोड़ रुपए से लेकर 74,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है।[88] यह अनुमान निम्नलिखित पर केंद्रित है: (i) यह धारणा कि सभी लक्षित लाभार्थियों को कवर किया जाएगा (लगभग 50 करोड़ लोग), (ii) अस्पताल में भर्ती होने की दर, और (iii) अस्पताल में भर्ती होने पर औसत खर्च। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि ये लागत 2023 में 66,000 करोड़ रुपए से 1,60,089 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है (मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए)। ▪ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया है कि पीएमजेएवाई ने स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाया है। पीएमजेएवाई को लागू करने वाले राज्यों में स्वास्थ्य बीमाकृत परिवारों के अनुपात में 54% की वृद्धि हुई और इसे लागू नहीं करने वाले राज्यों में 10% की कमी आई। कार्यान्वयन के साथ राज्यों में शिशु मृत्यु दर में भी 20% की कमी आई है जबकि बिना कार्यान्वयन वाले राज्यों में मृत्यु दर में 12% की गिरावट आई है।[89] ▪ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2020) ने कहा था कि पीएमजेएवाई को कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) लाभार्थियों को चिन्हित करना, (ii) अनेक पात्र लोगों को शामिल न कर पाना, (iii) स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का इन्पैनेलमेंट, और (iv) अस्पतालों का ट्रांजैक्शन सिस्टम।[90]
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को 7,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के जरिए	▪ प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के अंतर्गत जनौषधि केंद्रों में सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली जनेरिक दवाओं को सस्ती दरों पर बेचा जाता है ताकि स्वास्थ्य सेवा पर आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च कम किया जा सके।[91] दिसंबर 2021 तक देश में 8,560 जनौषधि केंद्र थे।[92] रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने कहा कि योजना का कवरेज अपर्याप्त और

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>अत्यधिक सस्ती दरों पर दवाएं मिल रही हैं।</td><td>कुछ राज्यों तक केंद्रित है।[93] उसने फार्मास्यूटिकल विभाग को सुझाव दिया कि वह जिला स्तरीय कवरेज के स्थान पर ब्लॉक स्तरीय कवरेज पर ध्यान केंद्रित करे। इसके अतिरिक्त कमिटी ने सुझाव दिया कि ग्रामीण, सुदूर क्षेत्रों, स्लम्स के लोगों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सेवा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।</td></tr>
<tr><td colspan="2">श्रम</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना की शुरुआत इसलिए की गई ताकि घरेलू कामगारों के रूप में लगे भाई-बहनों, ड्राइवर, मोची, कपड़े इस्त्री करने वाले, फार्म हैंड्स आदि सहित गरीब व्यक्तियों को भी पेंशन मिल सके।</td><td>▪ 2019 में केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और व्यापारियों को न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करने वाली तीन योजनाएं शुरू कीं। तीनों स्वैच्छिक और अंशदायी योजनाएं हैं जिनकी प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। लाभार्थियों को 55 रुपए से 200 रुपए तक का मासिक अंशदान देना होगा, जैसा निर्दिष्ट हो, और इतनी ही राशि सरकार द्वारा दी जाएगी।[94,95,96] 11 जनवरी, 2022 तक इन तीनों योजनाओं में कुल 64.4 लाख पंजीकृत लाभार्थी हैं।[97]
तालिका 11: किसानों, श्रमिकों और व्यापारियों के लिए पेशन योजनाएं (जनवरी, 2022 तक)[97]
<table>
<tr><th>योजना</th><th>लाभार्थी</th><th>पात्रता</th><th>पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना</td><td>असंगठित क्षेत्र के श्रमिक</td><td>15,000 रुपए प्रति माह से कम आय</td><td>46,06,658</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री किसान योगी मान धन योजना</td><td>छोटे किसान</td><td>दो हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि</td><td>17,87,326</td></tr>
<tr><td>राष्ट्रीय व्यापारी एवं स्वनियुक्त व्यक्ति पेंशन योजना</td><td>दुकानदार, स्वनियुक्त व्यक्ति और फुटकर व्यापारी</td><td>1.5 करोड़ रुपए से कम का वार्षिक टर्नओवर</td><td>48,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है।</td><td>▪ संसद ने सितंबर 2020 में श्रम को रेगुलेट करने वाली तीन संहिताएं पारित कीं: (i) व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता, 2020 जोकि स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्य स्थितियों को रेगुलेट करने वाले 13 मौजूदा कानूनों को समाहित करती है, (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 जोकि ट्रेड यूनियन्स, औद्योगिक विवादों तथा स्थायी आदेशों को रेगुलेट करने वाले तीन श्रम कानूनों को समाहित करती है, और (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जोकि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों का स्थान लेती है।[98,99,100] वेतन संहिता, 2019 को संसद ने जुलाई 2019 में पारित कर दिया था (जिसमें चार मौजूदा कानून समाहित हैं)।[101]</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	▪ औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत ड्राफ्ट नियमों को अक्टूबर 2020 में सार्वजनिक टिप्पणियें के लिए जारी किया गया था।[102] व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत ड्राफ्ट नियमों को नवंबर 2020 में जारी किया गया।[103,104] अब तक 24 राज्यों ने वेतन संहिता पर ड्राफ्ट नियमों को पूर्व प्रकाशित किया है, जबकि 20, 18 और 13 राज्यों ने क्रमशः औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता पर ड्राफ्ट नियम पूर्व प्रकाशित किए हैं।[105]
सरकार ने महामारी के दौरान अपने गांवों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया।	▪ गरीब कल्याण रोजगार अभियान जून 2020 में 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। अभियान का उद्देश्य उन प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है जो कोविड-19 महामारी के कारण अपने गांव लौट आए हैं। इसका उद्देश्य गांवों में सड़कों, आवास, आंगनवाड़ी और सामुदायिक परिसरों से संबंधित सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स बनाना है।[106] नवंबर 2020 में इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय आबंटित किया गया था। जुलाई 2021 तक अभियान के अंतर्गत 39,293 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ लगभग 50.78 करोड़ श्रम-दिवस के रोजगार सृजित किए गए हैं। छह राज्यों (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) ने अब तक इस योजना को लागू किया है।[107] दिसंबर 2021 तक, इन छह राज्यों में 1.24 लाख प्रवासी मजदूरों ने योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।[108]
सरकार ने स्वनिधि- रेहड़ी-पटरी वालों और फेरीवालों के लिए एक विशेष योजना भी शुरू की।	▪ जून 2020 में प्रधानमंत्री की स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के अंतर्गत सरकार फुटपाथी दुकानदारों को 10,000 रुपए तक की शुरुआती कार्यशील पूंजी प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत दुकानदार 31 मार्च, 2022 तक 7% सालाना की ब्याज सबसिडी हासिल करने के पात्र हैं। पीएम स्वनिधि द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की कुल लिक्विडिटी प्रदान करने का अनुमान है।[109] जनवरी, 2022 तक 44.2 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 32.3 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जो 3,326 करोड़ रुपए मूल्य के हैं और 2,927 करोड़ रुपए मूल्य के 28.7 लाख से अधिक ऋण संवितरित किए गए हैं।[110] ▪ आवासन एवं शहरी मामलों संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने कहा है कि योजना के कार्यान्वयन में अनेक समस्याएं हैं, जैसे:(i) स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण (वेंडिंग का सर्टिफिकेट न जारी करना), (ii) मंजूरी और ऋण संवितरण की धीमी गति, (iii)

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	ऋण आवेदनों का नामंजूर होना, और (iv) डिजिटल एक्सेस का अभाव। कमिटी ने एक वर्ष के लिए योजना को बढ़ाने तथा बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय का सुझाव दिया है।[111]
'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक हर महीने 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया गया।	▪ पीएम गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) 26 मार्च, 2020 को घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज है जिसमें श्रमिकों को लाभ, भोजन वितरण, नकद हस्तांतरण और गरीबों को कोविड-19 और उसके बाद के आर्थिक दबाव से निपटने में मदद करने के लिए अन्य उपाय शामिल हैं।[112] यह योजना कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में लगे 22 लाख स्वास्थ्यकर्मियों (निजी अस्पताल के कर्मचारियों सहित) को 50 लाख रुपए तक के बीमा कवर का प्रावधान करती है। प्रारंभ होने के बाद से इस योजना को दो बार (सितंबर 2020 में और फरवरी 2021 में) बढ़ाया जा चुका है। योजना की वैधता को 180 दिनों (24 अप्रैल, 2021 से 21 अक्टूबर, 2021 तक) के लिए और बढ़ा दिया गया था। अक्टूबर 2021 में सरकार ने योजना की वैधता को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया।[113] ▪ कोविड-19 के कारण वित्तीय समस्याओं में मदद के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों को अप्रैल और नवंबर 2020 के बीच प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज और प्रति परिवार प्रति माह एक किलो चना दिया गया।[114] कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण जून 2021 में पीएमजीकेएवाई योजना को दोबारा शुरू किया गया जिसकी अवधि मई 2021 से नवंबर 2021 तक थी और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के लाभार्थियों को कवर किया गया।[115] नवंबर 2021 में पीएमजीकेएवाई को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया।[116] दिसंबर 2021 तक योजना के अंतर्गत 549 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न संवितरित किया गया है।[117] 2021 के दौरान लगभग 278 एलएमटी खाद्यान्न आबंटित किए गए थे।[118]
कृषि एवं खाद्य आपूर्ति	
किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उनके बैंक खातों में लगभग 1,13,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किए गए।	▪ 2019 में कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष के आय समर्थन वाली पीएम- किसान योजना को शुरू किया गया जिसमें 2,000 रुपए की तीन किश्तें हैं। सरकार को उम्मीद थी कि 14.5 करोड़ लाभार्थी योजना के दायरे में आएंगे। 8 जनवरी, 2022 तक इस योजना के 12.44 करोड़ लाभार्थी हैं।[119] 2021-22 में 11.7 लाभार्थियों को पहली किश्त, 11.5 करोड़ को दूसरी किश्त और 11 करोड़ को तीसरी किश्त मिल गई। 2021-22 में योजना के लिए 65,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए जोकि मंत्रालय के कुल आबंटन का 49% हिस्सा है। 2020-21 में योजना के बजटीय चरण का आबंटन

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>75,000 करोड़ रुपए से संशोधित होकर, संशोधित चरण में 65,000 करोड़ रुपए हो गया।[120] 1 जनवरी, 2022 को सरकार ने पीएम किसान की 10वीं किश्त को जारी किया। करीब 10 करोड़ किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इसके अतिरिक्त 351 कृषि उत्पाद संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया गया।[121]
▪ कृषि संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2020) ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कई राज्यों में उचित भूमि रिकॉर्ड्स उपलब्ध न होना, (ii) लाभार्थियों की पहचान और राज्यों द्वारा डेटा को अपलोड करने में देरी, (iii) पीएम किसान डेटाबेस और आधार डेटा के बीच जनसांख्यिकीय डेटा की मैचिंग से जुड़ी समस्याएं, (iv) गलत बैंक खाते, और (v) ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कतों के कारण डेटा अपलोडिंग में बाधा पैदा होना। कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को उन राज्यों के साथ समन्वय करना चाहिए जहां नामांकन की रफ्तार धीमी है और उचित कदम उठाने चाहिए।[122]</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी इस देश के छोटे किसानों को लाभ हुआ है। इस योजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के साथ मुआवजे के रूप में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।</td><td>▪ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल के खराब होने पर किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना था। 8 जनवरी, 2022 तक इस योजना के अंतर्गत 82.9 लाख किसानों का नामांकन किया जा चुका है।[123] 2021-22 में योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जो मंत्रालय को कुल आबंटन का 12% था। 2020-21 में योजना के आबंटन को संशोधित चरण में बजट स्तर पर 15,695 करोड़ रुपए से घटाकर 15,307 करोड़ रुपए कर दिया गया था।[120]
तालिका 12: पीएम फसल बीमा योजना का व्यय (करोड़ रुपए में)
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21 (संअ)</th><th>2021-22 (बअ)</th></tr>
<tr><td>वास्तविक व्यय</td><td>11,052</td><td>9,419</td><td>11,937</td><td>12,639</td><td>15,307</td><td>16,000</td></tr>
</table>
▪ कृषि संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2021-22) ने कहा किया कि योजना के कार्यान्वयन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे निम्नलिखित हैं: (i) कुछ राज्यों का योजना से हटना, (ii) जागरूकता की कमी के कारण कई किसान योजना से हटने के लिए आवेदन जमा नहीं करते हैं और उनके बैंक खातों से प्रीमियम की कटौती हो जाती है, (iii) बीमा दावों के</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>निपटान में देरी, (iv) चूक करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी, और (v) केवल 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य और जिला, दोनों स्तरों पर शिकायत निवारण समितियों को अधिसूचित किया है। कमिटी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए इन समस्याओं का समाधान करने और सभी संस्थागत तंत्रों के समन्वय का सुझाव दिया।[124]</td></tr>
<tr><td>सरकार ने स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट के सुझावों को लागू करने का निर्णय लिया और एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना तक बढ़ा दिया।</td><td>▪ एमएसपी वह आश्वस्त मूल्य होता है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां केंद्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं। इस केंद्रीय पूल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनका बफर स्टॉक रखा जाता है। तालिका 13 में 2014-15 और 2021-22 के बीच विपणन मौसमों में धान और गेहूं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी को प्रदर्शित किया गया है।
तालिका 13: धान और गेहूं की फसलों के लिए एमएसपी (रुपए प्रति क्विंटल)[125]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2014-15</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th></tr>
<tr><td>धान (सामान्य) की एमएसपी</td><td>1,360</td><td>1,410</td><td>1,470</td><td>1,550</td><td>1,750</td><td>1,815</td><td>1,868</td><td>1,940</td></tr>
<tr><td>पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का %</td><td>3.8%</td><td>3.7%</td><td>4.3%</td><td>5.4%</td><td>12.9%</td><td>3.7%</td><td>2.9%</td><td>3.9%</td></tr>
<tr><td>गेहूं की एमएसपी</td><td>1,450</td><td>1,525</td><td>1,625</td><td>1,735</td><td>1,840</td><td>1,925</td><td>1,975</td><td>2,015</td></tr>
<tr><td>पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का %</td><td>3.6%</td><td>5.2%</td><td>6.6%</td><td>6.8%</td><td>6.1%</td><td>4.6%</td><td>2.6%</td><td>2%</td></tr>
</table>
▪ हालांकि हर वर्ष 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, लेकिन सार्वजनिक खरीद कुछ ही फसलों तक सीमित है जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों तक। तालिका 14 में 2020-21 में मुख्य फसलों के उत्पादन और खरीद को प्रदर्शित किया गया।
तालिका 14: 2020-21 में एमएसपी पर फसलों की खरीद (लाख मीट्रिक टन)[126,127]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>चावल</th><th>गेहूं</th><th>धान</th><th>कपास (170 किलो प्रति के लिहाज से गांठों में)</th><th>मोटा अनाज</th></tr>
<tr><td>खरीद</td><td>602</td><td>390</td><td>894</td><td>92</td><td>12</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	▪ नीति आयोग की 2016 की रिपोर्ट में एमएसपी को लागू करने की समस्याओं का जिक्र था। इनमें निम्नलिखित शामिल है: (i) खरीद व्यापक रूप से कुछ ही राज्यों से की जाती है- उदाहरण के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब देश का कुल 45% गेहूं उत्पादित करते हैं लेकिन वहां से 84.8% खरीद की जाती है, और पंजाब 26.5% धान का उत्पादन करता है लेकिन वहां से 42.3% खरीद की जाती है, (ii) किसानों को बुवाई के मौसम से पहले कम जानकारी होती है (नीति आयोग के अनुसार, 62% किसानों को बुवाई के मौसम के बाद एमएसपी की जानकारी मिलती है, (iii) खरीद केंद्रों तक लंबी दूरी, (iv) किसानों के लिए परिवहन की बढ़ती लागत, और (v) स्टोरेज की अपर्याप्त क्षमता। नीति आयोग ने कहा था कि किसानों को अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि मूल्य नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। किसानों को अक्सर संकट बिक्री, यानी एमएसपी से कम पर बिक्री करनी पड़ती है।[128] ▪ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में पाया गया कि एमएसपी में नियमित वृद्धि को किसानों द्वारा उन फसलों को चुनने के संकेत के रूप में देखा जाता है जिनके पास एक सुनिश्चित खरीद प्रणाली है (उदाहरण के लिए, चावल और गेहूं)। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, यह इस बात का संकेत है कि बाजार मूल्य किसानों के लिए लाभकारी विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, और एमएसपी वास्तव में अधिकतम मूल्य बन गया है जिसे किसान प्राप्त करने में सक्षम हैं।[129]
वन नेशन, वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) की शुरुआत।	▪ अगस्त 2019 में प्रारंभ ओएनओआरसी पोर्टेबल राशन कार्ड्स और आधार आधारित सत्यापन के जरिए लाभार्थियों को खाद्यान्न अहर्ता की अखिल भारतीय उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। 24 अगस्त, 2021 तक 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ओएनओआरसी योजना को लागू किया है। 75 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में आते हैं (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के अंतर्गत अहर्ता के लिए 94.3% पात्र आबादी)।[130] ▪ कोविड-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव में मदद के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत वितरण के अतिरिक्त कई दूसरी योजनाएं भी शुरू की गई थीं। इस योजना के लिए 127.3 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय मंजूर किया गया है।[131]
1,00,000 करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू किया गया है।	▪ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड परियोजनाओं के विकास के लिए फार्म-गेट स्तर पर ऋण प्रदान करने के लिए जुलाई 2020 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक लाख करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई थी।[132] यह फंड बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के रूप में वितरित किया जाएगा, जिस पर सरकार अधिकतम सात वर्षों की अवधि के लिए दो करोड़ रुपए तक 3% ब्याज सब्सिडी

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	प्रदान करेगी। सरकार को इस योजना के अंतर्गत 2029 तक 10,736 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है[133] दिसंबर 2021 तक योजना के अंतर्गत कुल 8,488 परियोजनाओं को 6,098 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 2,071 करोड़ रुपए 4,003 परियोजनाओं के लिए वितरित किए गए हैं।[134]
सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा बढ़ा दी है। पूरे देश में शुरू की गई किसान रेल भारतीय किसानों की नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाकर एक नई कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करने में मदद कर रही है।	▪ **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)**: केसीसी को 1998 में पेश किया गया था और इसका उद्देश्य सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पर्याप्त और समय पर क्रेडिट प्रदान करना है। आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत केसीसी योजना 2.5 करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी।[135] पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियां करने वाले किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए योजना को दिसंबर 2020 में विस्तार दिया गया था। 30 जुलाई, 2021 तक लगभग 2.3 करोड़ किसानों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है, जिसमें पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए 8.9 लाख केसीसी शामिल हैं।[136] ▪ **किसान रेल**: केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार, भारतीय रेलवे द्वारा किसान रेल ट्रेनों की शुरुआत की गई ताकि फल, सब्जियों, मांस, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और डेयरी उत्पादों सहित जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को उत्पादन या अधिशेष वाले क्षेत्रों से खपत या कमी वाले क्षेत्रों में भेजा जा सके। किसान रेल सेवाएं समय सारिणी के साथ-साथ मांग आधारित हैं। 7 अगस्त, 2020 को पहली किसान रेल सेवा शुरू होने और 28 नवंबर 2021 तक, भारतीय रेलवे ने प्याज, केला, आलू, लहसुन, अनार, संतरा, शिमला मिर्च, गोभी, फूलगोभी, और अन्य फल और सब्जियों सहित लगभग 5.4 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन करते हुए 1,642 किसान रेल सेवाओं का संचालन किया है। ये सेवाएं आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से संचालित की जाती हैं।[137]
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुआरों की आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इस क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है।	▪ कैबिनेट ने मई 2020 में समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए 11,000 करोड़ रुपए और इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे मछली पकड़ने के बंदरगाह, कोल्ड चेन, बाजार) के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए पीएमएमएसवाई योजना को मंजूरी दी।[138] योजना के लिए दिशानिर्देश जून 2020 में जारी किए गए थे।[139] इस योजना को 2024-25 तक लागू किया जाना है।[139] 7 दिसंबर, 2020 तक इस योजना के अंतर्गत 4,171 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 122 जहाज, मछली पालन के लिए 656 समुद्री पिंजरे और 109 मछली और झींगा हैचरी बनाए गए हैं।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	1.22 लाख मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता के साथ, योजना के अंतर्गत 1,820 रिप्लेसमेंट बोट्स और जाल प्रदान किए गए हैं।[140] 2020-21 और 2021-22 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कुल 9.4 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया।[141] इसके अतिरिक्त भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने 2020-21 से 2021-22 में अब तक 1823.50 करोड़ की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 5336.96 करोड़ रुपए की मत्स्य विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी है और पीएमएमएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 1223.96 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।[142]
जल एवं पर्यावरण	
सरकार 'जल जीवन मिशन' की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। हर घर तक पानी पहुंचाने (हर घर जल) के अतिरिक्त जल संरक्षण पर भी तेजी से काम चल रहा है।	▪ 2019 में जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था ताकि 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को चालू नल कनेक्शन दिया जा सके। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम समाहित कर दिया गया। जनवरी 2022 तक (मिशन की शुरुआत से) 5.6 करोड़ घरों में नल कनेक्शन जोड़े गए (29% ग्रामीण घर)। 13 जनवरी, 2022 तक 45.7% ग्रामीण घरों (8.8 करोड़ घरों) में नल कनेक्शन हैं।[143] ▪ 2019 से 2024 के बीच जेजेएम की अनुमानित लागत 3.6 लाख करोड़ अनुमानित है।[144] 2021-22 में इसे 50,011 करोड़ रुपए आबंटित किए गए, जिसमें 2019-20 के वास्तविक व्यय की तुलना में 123% की वार्षिक वृद्धि है।[145] ▪ 15वें वित्त आयोग ने कहा कि जेजेएम के अंतर्गत 63% ग्रामीण बस्तियों को भूजल स्रोतों से पाइप से जलापूर्ति की जा रही है। उसने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश में अत्यधिक घटते जल स्तर को देखते हुए यह अस्थिर हो जाएगा। कमिटी ने सुझाव दिया कि भूजल पर निर्भरता को निम्न द्वारा कम किया जाए: (i) ग्रेडेड आधार पर पानी की कीमत तय करना, और अधिक खपत के लिए अधिक शुल्क वसूलना, (ii) जेजेएम जैसी योजनाओं के लिए सतही जल पर अधिक निर्भरता, और (iii) वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना (कानूनों के सख्त कार्यान्वयन सहित)।[146] ▪ पेयजल एवं सैनिटेशन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2020-21) ने योजना के कार्यान्वयन की कुछ कमजोरियों का जिक्र किया जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण का अभाव, (ii) अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, (iii) तकनीकी मानव संसाधनों की अनुपलब्धता, और (iv) पूर्ण हो चुकी योजनाओं का खराब परिचालन और रखरखाव। कमिटी ने सुझाव दिया कि

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	पाइप्ड जलापूर्ति के प्रावधान में तेज वृद्धि लाई जाए और पूर्ण हुए कार्यों की निगरानी के लिए प्रभावशाली रणनीतियां बनाई जाएं।[147] ▪ राष्ट्रीय जल मिशन को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 2008 में शुरू किया गया था। यह एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से पानी के संरक्षण, अपव्यय को कम करने और राज्यों में और राज्यों के भीतर अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। मिशन के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिंचाई, कृषि, घरेलू जल आपूर्ति, औद्योगिक जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपयोग को कवर करते हुए जल क्षेत्र के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं (एसएसएपी) शुरू की गई हैं। दिसंबर 2021 तक, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एसएसएपी की तैयारी के लिए संबंधित नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से पांच राज्यों ने एसएसएपी के पहले चरण को पूरा कर लिया है।[148]
वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत पेरिस समझौते को लागू करने में अग्रणी देशों में से एक है। .	▪ नवंबर 2021 में 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप26) ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था, जहां 197 देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाइयों पर निर्णय लेने के लिए मुलाकात की। ग्लासगो सम्मेलन संधि ने सभी देशों से ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए 2030 तक कार्बन डाई ऑक्साइड सहित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 45% (2010 के स्तर की तुलना में) कम करने का आग्रह किया।[149] सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने देश के निम्नलिखित लक्ष्यों की घोषणा की: (i) 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, (ii) भारत के ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 2030 तक 50% तक बढ़ाना, (iii) 2030 तक नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक बढ़ाना, (iv) 2030 तक अक्षय ऊर्जा के जरिए 50% ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, (v) 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करना, और (vi) 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन गहनता को 45% से कम करना।[150] ▪ 31 दिसंबर, 2021 तक सभी स्रोतों से बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 393 GW है। इसमें से कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 105 GW (जो 2022 तक हासिल किए जाने वाले लक्ष्य का 60% है) है।[151] उल्लेखनीय है कि पहले सिर्फ छोटे हाइड्रो

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति

(25 मेगावॉट से कम की क्षमता) को ही अक्षय ऊर्जा का हिस्सा समझा जाता था। मार्च 2019 में कैबिनेट ने बड़े हाइड्रो को भी अक्षय ऊर्जा स्रोत घोषित किया।[152] 31 दिसंबर, 2021 तक कुल बड़ी हाइड्रो ऊर्जा क्षमता 47 GW है।

- भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (2015) में 2022 तक 175 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य शामिल है। नीचे दी गई तालिका अब तक की प्रगति को दर्शाती है:

तालिका 15: अब तक की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता (31 दिसंबर, 2021)

भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त लक्ष्यों का %
सौर	100 GW	49.3 GW	49.3%
वायु	60 GW	40 GW	67%
बायोमास	10 GW	10.6 GW	106%
छोटा हाइड्रो	5 GW	4.8 GW	96%
कुल	**175 GW**	**105 GW**	**60%**

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत अन्य लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% तक कम करना, (ii) तकनीकी हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) सहित कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय वित्त की मदद से 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना, और (iii) 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के जरिए कार्बन डाई ऑक्साइड के बराबर 2.5 से 3 बिलियन टन का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। बिजली उत्पादन की नॉन फॉसिल स्रोत आधारित स्थापित क्षमता में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी 40% से अधिक है।[153] 2021 में वन और वृक्ष का आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। यह 2019 में पिछले आकलन से मामूली वृद्धि (0.28%) है।[154]

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	▪ ऊर्जा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2020-21) ने कहा था कि अक्षय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि और आने वाले वर्षों में अधिक वृद्धि की योजना के बावजूद कोयला इस दशक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहेगा।[155] कमिटी ने कहा कि 2029-30 तक स्थापित थर्मल पावर क्षमता में 30% की वृद्धि हो सकती है।
	रक्षा एवं गृह मामले
भारत के सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई आधुनिक हथियारों की खरीद की जा रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर भी जोर है।	▪ सरकार ने सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण/आधुनिकीकरण के लिए 2021-22 में 1,10,538 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।[156] निम्नलिखित तालिका में 2015-16 और 2021-22 के बीच आधुनिकीकरण हेतु बजटीय आबंटन और व्यय की प्रवृत्तियां प्रदर्शित की गई हैं। **16: सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के बजट अनुमान और वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में)** मानदंड | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 बजट अनुमान | 77,406 | 69,898 | 69,473 | 74,115 | 80,959 | 90,047 | 1,10,538 वास्तविक व्यय | 62,235 | 69,280 | 72,732 | 75,892 | 91,128 | 31,747 | - नोट: वास्तविक व्यय अनंतिम अनुमानों पर आधारित हैं। ▪ रक्षा उत्पादन और खरीद संबंधी एस्टिमेट्स कमिटी (2018) ने कहा था कि रक्षा बजट में पूंजीगत खरीद का हिस्सा लगातार कम हो रहा है जिसका सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल असर हो रहा है। कमिटी ने सुझाव दिया था कि पूंजीगत बजट के पर्याप्त आबंटन का प्रावधान किया जाना चाहिए और धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए।[157] ▪ रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2019) ने कहा था कि प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अपर्याप्त आबंटन से अनुबंधीय बाध्यताओं में चूक हो सकती है। पिछले वर्ष के पूरे हुए अनुबंधों के संबंध में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जो भुगतान अनुमानित होते हैं, वे प्रतिबद्ध देनदारियों में शामिल होते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया था कि जिन आबंटनों का वादा किया गया है, उन्हें प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए संवितरित किया जाना चाहिए।[158] ▪ 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग ने इस बात पर अध्ययन किया था कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को वित्त पोषित करने के लिए अलग से एक व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।[159] आयोग ने सुझाव दिया था कि अनुमानित बजटीय जरूरतों और बजटीय आबंटन के बीच के फर्क को दूर करने के लिए एक डेडिकेटेड, नॉन-लैप्सेबल रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा आधुनिकीकरण फंड बनाया जाए।[160] आयोग ने यह सुझाव भी दिया था कि पांच वर्षों (2021-26) की अवधि के लिए फंड में

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>1.5 लाख करोड़ रुपए का आबंटन किया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार की 1% सकल राजस्व प्राप्तियों का इस्तेमाल किया जाए। फंड में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की विनिवेश प्राप्तियां, तथा अतिरिक्त रक्षा भूमि के मुद्रीकरण (केवल रक्षा व्यय के लिए इस्तेमाल किया जाए) के जरिए जमा फंड्स को शामिल किया जाए। आयोग को उम्मीद है कि 2021-26 की अवधि में फंड में 2.38 लाख करोड़ रुपए जमा होंगे। रक्षा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2017) ने रक्षा आधुनिकीकरण के लिए एक नॉन लैप्सेबल कैपिटल फंड एकाउंट बनाने का एक ऐसा ही सुझाव दिया था।[161] उस समय वित्त मंत्रालय ने विभिन्न आधारों पर इस तरह के फंड निर्माण पर आपत्ति जताई थी। उसने सुझाव दिया था कि हालांकि यह फंड नॉन लैप्सेबल है, यह रक्षा मंत्रालय को अपने आप उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी।[162] वित्त मंत्री ने कहा था कि वार्षिक आधार पर बजट को अधिकृत करने का वर्तमान तंत्र अच्छी तरह से काम कर रहा है।[163]
▪ मई 2020 में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि आयात के लिए प्रतिबंधित हथियारों और प्लेटफार्मों की एक सूची वर्ष-वार तरीके से, समय सीमा के आधार पर जारी की जाएगी।[164] अगस्त 2020 में मंत्रालय ने अन्य 101 वस्तुओं को नकारात्मक आयात सूची में डालकर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।[165] मई 2021 में रक्षा मंत्रालय ने गोला-बारूद, हथियार और विभिन्न सिस्टम्स जैसी 108 वस्तुओं को नकारात्मक आयात सूची में डाल दिया।[166] नकारात्मक आयात सूची में डाली गई सभी वस्तुओं की खरीद स्वदेशी/घरेलू स्रोतों से की जाएगी। नकारात्मक आयात सूची में डाली गई 108 वस्तुओं में कॉम्प्सेक्स सिस्टम्स, सेंसर, सिम्युलेटर, हथियार और गोला-बारूद शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td>नक्सल-हिंसा से संबंधित घटनाओं में कमी आई है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिमट रहे हैं। उत्तर पूर्व में चरमपंथ कम हो रहा है और हिंसक घटनाओं में भारी गिरावट आई है।</td><td>▪ तालिका 17 में 2016 तथा 2021 के बीच भारत में वामपंथ-चरमपंथ की घटनाओं और परिणामस्वरूप मौतों की संख्या प्रदर्शित की गई है।
17: 2016-21 के बीच वामपंथ-चरणपथ की घटनाएं (अगस्त 2021 तक)[167]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021 (अगस्त तक)</th></tr>
<tr><td>घटनाएं</td><td>1,048</td><td>908</td><td>833</td><td>670</td><td>665</td><td>349</td></tr>
<tr><td>परिणामस्वरूप मौतें</td><td>278</td><td>263</td><td>240</td><td>202</td><td>183</td><td>110</td></tr>
</table>
▪ तालिका 18 में 2016 और 2021 के बीच उत्तर पूर्व भारत में चरमपंथ की घटनाओं और परिणामस्वरूप मौतों की संख्या प्रदर्शित की गई है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td>
तालिका 18: 2016-21 के दौरान उत्तर पूर्व में चरमपंथ से जुड़ी घटनाएं (नवंबर 2021 तक)[168]
<table>
<tr><th>मानदंड</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021 (नवंबर तक)</th></tr>
<tr><td>घटनाएं</td><td>484</td><td>308</td><td>252</td><td>223</td><td>163</td><td>187</td></tr>
<tr><td>परिणामस्वरूप मौतें</td><td>152</td><td>106</td><td>71</td><td>37</td><td>28</td><td>67</td></tr>
</table>
सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत आने वाले वामपंथी चरमपंथ (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों को अप्रैल 2018 में 126 से घटाकर 90 और जुलाई 2021 में 70 कर दिया गया। एसआरई योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित राज्यों (के 70 जिलों) में वामपंथी चरमपंथ से लड़ने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। प्रतिपूर्ति व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण और संचालन संबंधी आवश्यकताएं, (ii) वामपंथी चरमपंथ में मारे गए/घायल हुए नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान, (iii) संबंधित राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के अनुसार उन वामपंथी चरमपंथी कैडरों को मुआवजा, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, और (iv) सामुदायिक पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समितियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रचार सामग्री पर खर्च।[169]
</td></tr>
<tr><td colspan="2">परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर</td></tr>
<tr><td>देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए 110 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन' पर काम किया जा रहा है।</td><td>
पांच वर्षों (2020-25) के लिए 111 लाख करोड़ की अनुमानित निवेश योजना के साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को शुरू किया गया था।[170] एनआईपी को 6,835 परियोजनाओं के साथ शुरू किया गया था, जो 34 उप-क्षेत्रों को कवर करते हुए 9,000 से अधिक परियोजनाओं तक बढ़ गया है। इस परियोजना का उद्देश्य विकास, प्रतिस्पर्धा और रोजगार को बढ़ाना है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र इस परियोजना में क्रमशः 40%, 39% और 21% निवेश करेंगे। धनराशि का बड़ा हिस्सा निम्नलिखित को दिया जाएगा: (i) ऊर्जा क्षेत्र (24%), (ii) सड़कें (18%), (iii) शहरी बुनियादी ढांचा (17%), और (iv) रेलवे (12%)।[171] वित्त मंत्रालय ने 2019-25 की अवधि के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) तैयार करने के लिए सितंबर 2019 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स ने एनआईपी पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[172,173] टास्क फोर्स ने एनआईपी प्रगति की निगरानी, प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय में कार्यान्वयन और एनआईपी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु कमिटियों के गठन का सुझाव दिया। तालिका 19 एनआईपी के अंतर्गत क्षेत्रवार प्रगति दर्शाती है।
</td></tr>
</table>

तालिका 19: नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत परियोजनाएं (जनवरी 2022 तक) (लाख करोड़ रुपए में)[174]

विशेष	परिवहन	ऊर्जा	जल और सैनिटेशन	सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर	लॉजिस्टिक्स	संचार	कुल
परियोजनाओं की संख्या	4,633	692	1,332	1,718	595	163	30	**9,163**
परियोजनाओं की लागत (लाख करोड़ रुपए में)	59.3	35.8	21.1	18.7	6	3.8	1.1	**145.8**
कुल परियोजनाओं का %	50.56%	7.55%	14.54%	18.75%	6.49%	1.78%	0.33%	-

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	▪ परिवहन क्षेत्र की 4,633 परियोजनाओं में से 3,508 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए हैं। अन्य उप क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक, शहरी सार्वजनिक परिवहन और हवाई अड्डे शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,718 परियोजनाओं में से 1,009 शिक्षा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं। ▪ इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे दो समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (जिनका नाम पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है) विकसित कर रहा है ताकि माल ढुलाई की गति तेज हो सके। 30 नवंबर, 2021 तक 2,843 किलोमीटर में से 1,010 किलोमीटर को चालू कर दिया गया है। इसमें 659 किलोमीटर का पश्चिमी कॉरिडोर (1,506 किलोमीटर में से) और 351 किलोमीटर का पूर्वी कॉरिडोर (1,337 किलोमीटर में से) शामिल है।[175] ▪ 2018 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में माल और लोगों की कुशल आवाजाही के उद्देश्य से भारतमाला परियोजना शुरू की। भारतमाला परियोजना में लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों के विकास की परिकल्पना की गई है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पूरी की गई प्रमुख परियोजनाओं में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, नर्मदा ब्रिज, चेनानी-नाशरी टनल और धौला-सादिया ब्रिज शामिल हैं। 2017 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आगरा एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे शुरू किए गए हैं।[176]
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.42	▪ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़कें प्रदान करना है। योजना को 2021-22 में 15,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जो कि 2020-21 के 13,706

<table>
<tr><th>नीतिगत प्राथमिकता</th><th>मौजूदा स्थिति</th></tr>
<tr><td>लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।</td><td>करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 9.4% अधिक है। पीएमजीएसवाई का तीसरा चरण 2019 में ग्रामीण लिंक और मार्गों के माध्यम से 1.2 लाख किलोमीटर रोडवेज के एकीकरण के लिए शुरू किया गया था।[177]
तालिका 20:पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रगति (किलोमीटर में)[178]
<table>
<tr><th>अवधि</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22 (जनवरी 2022 तक)</th></tr>
<tr><td>सड़क (लक्ष्य)</td><td>33,649</td><td>48,812</td><td>51,000</td><td>57,700</td><td>50,097</td><td>46,164</td><td>61,703</td></tr>
<tr><td>सड़क (काम पूरा हुआ)</td><td>35,155</td><td>47,446</td><td>48,746</td><td>16,856</td><td>27,301</td><td>36,675</td><td>22,108</td></tr>
<tr><td>प्राप्त लक्ष्य %</td><td>104.5%</td><td>97.2%</td><td>95.6%</td><td>29.2%</td><td>54.5%</td><td>79%</td><td>36%</td></tr>
</table>
ग्रामीण विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2018-19) ने कहा कि योजना के अंतर्गत काम की रफ्तार बहुत धीमी है, खासकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में। कमिटी ने सुझाव दिया था कि योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रॉजेक्ट्स की गति को बढ़ाया जाए।[179] ग्रामीण विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2019-20) ने कहा कि सड़कों का रखरखाव काफी खराब है। उसने मंत्रालय को सुझाव दिया कि अनुपालन के कड़े नियमों का पालन किया जाए और ठेकेदारों तथा एजेंसियों को उनकी लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।[180]</td></tr>
<tr><td colspan="2">शहरी एवं ग्रामीण विकास</td></tr>
<tr><td>स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण अब अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त कर रहे हैं।</td><td>स्वामित्व योजना को अप्रैल 2021 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गांवों के बसाहट वाले क्षेत्रों में, घर के स्वामित्व वाले परिवारों को 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स' देना था। यह कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड) जारी करके हासिल किया जाता है। योजना के अंतर्गत ड्रोन के जरिए जमीन के टुकड़ों की मैपिंग कर मालिकाना हक का निर्धारण किया जाता है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू की जा रही है। राज्यों को योजना के कार्यान्वयन के लिए एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना होता है। अब तक 29 राज्यों ने एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2025 तक देश भर के सभी गांवों को 566 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कवर करना है।[181] जनवरी 2022 तक 24,517 संपत्ति कार्ड संवितरित किए गए हैं।[182] संपत्ति कार्ड जारी करने से बैंक ऋण हासिल करने में आसानी होती है, संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आती है और ग्रामीण स्तर की व्यापक योजना बनाई जाती है।</td></tr>
</table>

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
दो करोड़ गरीब लोगों को घर।	▪ प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने का प्रयास करती है। इसके दो घटक हैं: पीएमएवाई-शहरी और पीएमएवाई-ग्रामीण। ▪ पीएमएवाई-यू को जून 2015 में वर्ष 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।[183] इस योजना में चार घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) निजी भागीदारी के माध्यम से मौजूदा झुग्गी निवासियों का यथावत पुनर्वास (झुग्गी बस्तियों के अंतर्गत मौजूदा भूमि का उपयोग करके) (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय समूह और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस), (iii) साझेदारी में किफायती आवास, और (iv) लाभार्थी की प्रमुखता वाले व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी। ▪ पीएमएवाई-यू को 2021-22 के लिए 8,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। इसमें 2020-21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 62% की गिरावट है।[184] नवंबर 2020 में 12 लाख घरों की नींव रखने और 18 लाख घरों को पूरा करने के लिए 2020-21 में पीएमएवाई (शहरी) योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। ▪ पीएमएवाई-यू के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग (6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच वार्षिक आय) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना 2017 से लागू है। यह योजना पात्र शहरी गरीबों या मध्यम आय वाले लोगों को घर प्राप्त करने, उसके निर्माण या उसे बढ़ाने के लिए होम लोन लेने पर अनुदान प्रदान करने का प्रयास करती है। सरकार का अनुमान है कि इससे आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और ढाई लाख परिवारों को लाभ होगा।[185] 2021-22 में इस योजना को 10 लाख रुपए आबंटित किए गए थे जो कि 2019-20 में वास्तविक व्यय से 98% कम है। ▪ इसके अतिरिक्त 2017 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 20 वर्ष की अवधि के लिए या ऋण की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी केवल छह लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए उपलब्ध होगी। 2021-22 में योजना को 1,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे जो कि 2019-20 में वास्तविक व्यय से 29% अधिक है। दिसंबर 2021 तक 17.35 लाख लाभार्थियों ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से आवास ऋण पर सब्सिडी का लाभ उठाया है जिसमें से 6.15 लाख लाभार्थी मध्यम आय वर्ग के हैं।[186]

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति

- शहरी विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2019) ने यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय पर धनराशि जारी की जा रही है।[187] केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी 2018 में 60,000 करोड़ रुपए मूल्य के राष्ट्रीय शहरी आवास फंड (एनयूएचएफ) के निर्माण को मंजूरी दी।[188] एनयूएचएफ का लक्ष्य 2022 तक धनराशि जमा करना है ताकि मकानों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत केंद्रीय राशि का सतत प्रवाह सुनिश्चित हो। शहरी विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2020) ने योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था कायम करने का सुझाव दिया।[189] निम्नलिखित तालिका में 18 जनवरी, 2022 तक योजना के कार्यान्वयन की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 21: पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पूरे हुए मकान (करोड़ में)[190]

मंजूर मकान	पूरे हुए मकान	पूरे हुए मकानों का %
1.14	0.53	46.5%

नोट: ये आंकड़े 18 जनवरी, 2022 तक के हैं।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए अप्रैल 2016 से **पीएमएवाई-जी** को लागू कर रहा है।[191] पीएमएवाई-जी को 2021-22 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।[192]

तालिका 22: पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पूरे हुए मकान (करोड़ में)[193]

मंजूर मकान	पूरे हुए मकान	पूरे हुए मकानों का %
2.17	1.69	77.9%

नोट: ये आंकड़े 18 जनवरी, 2022 तक के हैं।

- यह देखते हुए कि योजना के लिए निर्धारित 4.3 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2.32 करोड़ ग्राम सभा के प्रमाणन के बाद पात्र बने हैं, ग्रामीण विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने लाभार्थियों की पहचान में राजनीति प्रेरित दृष्टिकोण की संभावना का जिक्र किया।[194] लाभार्थियों को उचित तरीके से चिन्हित किया जाए, इसके लिए कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) लाभार्थियों की पहचान में ग्राम सभाओं और पंचायतों की भूमिका को कम करना और सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	निजी/गैर-सरकारी निकायों को शामिल करना, (ii) निरीक्षण के लिए एक ब्लॉक विकास अधिकारी को शामिल करना, और (iii) लाभार्थी की मृत्यु के बाद आवासीय इकाई के स्वामित्व को नामित व्यक्ति को हस्तांतरित करना। इसके अतिरिक्त कमिटी ने निम्नलिखित का सुझाव दिया: (i) प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करना, (ii) मनरेगा का विकल्प चुनने की अनिच्छा के परिणामों के बारे में लाभार्थियों को शिक्षित करना, (iii) चालू शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करना, और एसबीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों को 12,000 रुपए की सहायता का निश्चित समय पर भुगतान, और (iv) पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शंस के प्रावधान में सुधार (30% से)।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए ताकि गरीब परिवारों की बहनों और बेटियों की गरिमा बनी रहे और उन्हें असुविधा न हो।	▪ 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई।[195] इसके दो घटक हैं: स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू)। जहां मिशन के ग्रामीण घटक को पेयजल और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत लागू किया जाता है, वहीं शहरी घटक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। **एसबीएम-जी** को 2021-22 में 9,994 करोड़ रुपए आबंटित किए गए, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान (6,000 करोड़ रुपए) से 67% अधिक है। इस योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2020 में 100% जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया था। मिशन के अंतर्गत जनवरी 2022 तक 10.88 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। ▪ 2021-22 में एसबीएम-यू को 2,300 करोड़ रुपए आबंटित किए गए जिसमें 2019-20 के वास्तविक व्यय से 35% की वार्षिक वृद्धि है। एसबीएम-यू के कार्यान्वयन की कुल अनुमानित लागत 62,009 करोड़ रुपए है। इसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 14,623 करोड़ रुपए और राज्यों की सहायता 4,874 करोड़ रुपए होगी। शेष को निजी क्षेत्र, स्वच्छ भारत कोष, बाजार उधारी और बाहरी सहायता जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना है।[196] योजना के अंतर्गत 62.6 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।[197] ▪ ग्रामीण विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2018) ने निम्नलिखित चुनौतियों को रेखांकित किया था: (i) 100% पारिवारिक शौचालयों वाले गांव को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उनके सभी निवासी उन्हें इस्तेमाल करना शुरू न कर दें, (ii) शौचालयों को निम्न स्तर के कच्चे माल से बनाया गया है या पानी की उपलब्धता के बिना, और (iii) गलत जानकारी देने और शौचालयों के स्थायी न होने के कारण ओडीएफ दर्जा प्राप्त गांवों की फॉल बैक (उनका दोबारा खुले में शौच करना) दर बहुत अधिक है।[198]

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	▪ शहरी विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने 2020 की शुरुआत में कहा था कि योजना के अंतर्गत पूर्वी दिल्ली सहित दूसरे इलाकों में बने शौचालय खराब क्वालिटी के हैं और उनका पर्याप्त रखरखाव नहीं किया जाता।[199] इसके अतिरिक्त कमिटी ने सितंबर 2020 में इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए धनराशि के असमान वितरण को दुरुस्त करने की आवश्यकता है।[200] शहरी विकास संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने भी स्रोत पर पृथक्करण और अपशिष्ट प्रसंस्करण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में धीमी गति के बारे में चिंता व्यक्त की।[201] ▪ फरवरी 2021 में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को शुरू किया जाएगा।[202] शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा: (i) कीचड़ प्रबंधन, (ii) अपशिष्ट-जल उपचार, (iii) कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, (iv) एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक में कमी और (v) डंपसाइट्स के निर्माण, विध्वंस और जैव-उपचार के कारण वायु प्रदूषण का नियंत्रण। 1 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री ने हमारे सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाने के मिशन के साथ एसबीएम- शहरी 2.0 का शुभारंभ किया।[203] ▪ एनएफएचएस के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार (2019-21) 70% आबादी ऐसे घरों में रहती है जहां बेहतर सैनिटेशन की सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है (65% ग्रामीण परिवार)।[204] 2015-16 में 49% लोग ऐसे घरों में रहते थे जहां बेहतर सैनिटेशन की सुविधा थी।
ऊर्जा	
देश भर में 14 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए।	▪ मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन (बीपीएल) करने वाले परिवार की महिलाओं को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) देना है। अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार सात श्रेणियों (एससी/एसटी, पीएमएवाई, एएवाई, सबसे पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह) की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया था। लक्ष्य को संशोधित कर आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया, और इस लक्ष्य को अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया।[205] अगस्त 2021 में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला 2.0 योजना शुरू की। संशोधित योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के साथ-साथ पहला रिफिल एवं हॉटप्लेट मुफ्त प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रवासियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जनवरी 2022

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	तक पीएमयूवाई के अंतर्गत कुल 8.97 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।[206] नवंबर 2021 तक, भारत में 30.21 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता थे।[207] एनएफएचएस-5 के अनुसार, 59% परिवार खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करते हैं।[204] ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 43% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह लगभग 90% है। ▪ योजना पर कैग की 2019 की एक रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए गए थे: (i) 2016-19 में भारत में एलपीजी कवरेज 62% से बढ़कर 94% हो गया लेकिन औसत वार्षिक रीफिल उपभोग कम बना रहा, जोकि लाभार्थियों के कम इस्तेमाल का संकेत देता है, (ii) विवरण देने के सात दिनों के भीतर केवल 19% कनेक्शंस लगाए गए जोकि इंस्टॉलेशन में देरी का संकेत है, (iii) अधिक उपभोग वाले मामलों में घरेलू सिलिंडर के कमर्शियल इस्तेमाल का जोखिम है, और (iv) योजना के प्रदर्शन संकेतकों का अभाव है।[208]
पूर्वोत्तर गैस ग्रिड प्रॉजेक्ट के लिए 9,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।	▪ इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा यह प्रॉजेक्ट चलाया जा रहा है जोकि केंद्रीय-सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उद्यमों का संयुक्त उपक्रम है। 9,265 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 60% की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) को जनवरी, 2019 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।[209] वीजीएफ पूर्ण निजी निवेश के लिए अनाकर्षक माने जाने वाले प्रॉजेक्ट्स के लिए एकमुश्त पूंजीगत अनुदान देता है। 31 दिसंबर, 2020 तक कुल प्रस्तावित 1,656 किलोमीटर में से 1,544 किलोमीटर पाइपलाइन डाल दी गई है।[210]
हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए।	▪ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-बिजलीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए सार्वभौमिक घरेलू बिजली प्राप्त करने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की गई थी। अक्टूबर 2019 और नवंबर 2020 के बीच योजना के अंतर्गत 2.8 करोड़ परिवारों को बिजली दी गई। 2020-21 में इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 6,220 करोड़ रुपए जारी किए।[211] दिसंबर 2021 तक कुल 21.5 करोड़ परिवारों में से 21.45 करोड़ परिवारों को बिजलीकृत किया गया (99.9%)।[212] ▪ ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी और उसके बाद लॉकडाउन ने बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर डाला है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत बिजली वितरण कंपनियों, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बिजली

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	उत्पादन कंपनियों और ग्रामीण बिजलीकरण एवं बिजली वित्तीय निगमों को मदद की गई ताकि बिजली क्षेत्र में लिक्विडिटी सुनिश्चित की जा सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में कुछ सुधार करने और सिस्टम्स के अपग्रेडेशन के लिए बिजली वितरण कंपनियों को लिए 3.03 लाख रुपए। पात्र डिस्कॉम्स को स्मार्ट मीटर, फीडर और ओवरहेड लाइन स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, (ii) अगस्त 2020 में कैबिनेट ने ग्रामीण बिजलीकरण निगमों और बिजली वित्तीय निगम को कार्यशील पूंजी ऋण पर एकमुश्त छूट देने को मंजूरी दी। यह छूट उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना द्वारा निर्धारित सीमा, यानी पिछले वर्ष के 25% राजस्व से अधिक पर मिलेगी[213], और (iii) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा लगाए गए फिक्स चार्ज को टालने का प्रस्ताव कैबिनेट ने अगस्त 2020 में पारित किया था।[214] शुल्क को तीन ब्याज मुक्त समान किश्तों में चुकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने उत्पादन कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को देर से भुगतान (देर से भुगतान अधिभार) के लिए दंड शुल्क की दर 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से कम रखने की सलाह दी।[215] इन लाभों को हासिल करने के लिए डिस्कॉम्स को अपनी संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजने होंगे।[216].
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए गए।	▪ मार्च 2019 में कृषि पंप्स के सौरीकरण के लिए पीएम-कुसुम को शुरू किया गया था।[217] इस योजना का लक्ष्य 2017 और 2022 के बीच केंद्र सरकार की 34,035 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता के साथ सौर और अन्य अक्षय ऊर्जा क्षमता को जोड़ना है। 2020 में योजना के अंतर्गत लक्ष्य को 25.8 GW बिजली उत्पादित करने वाले 17.5 लाख पंप लगाने से बढ़ाकर 30.8 GW बिजली उत्पादित करने 20 लाख पंप किया गया है। [218] ▪ 2020-21 में 5,000 छोटे सौर ऊर्जा पंप, सात लाख स्टैंडएलोन सौर पंप और चार लाख ग्रिड कनेक्टेड पंप के सौरीकरण का लक्ष्य था।[218] नवंबर 2021 तक 20 MW के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों, 75,098 स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों, और मौजूदा ग्रिड से जुड़े 1,026 कृषि पंपों को स्थापित/संचालित किया जा चुका है।[219]

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	समाज कल्याण
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, 7 करोड़ से अधिक महिला उद्यमी देश में लगभग 66 लाख स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क का हिस्सा बन गई हैं।	▪ 2011 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आजीविका में वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने के लिए संस्थागत मंच प्रदान करके गरीबी को कम करना है। मिशन के अंतर्गत आजीविका योजना ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करने का प्रयास करती है।[220] 2021-22 में मिशन को 13,678 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जो कि 2020-21 के 9,210 करोड़ रुपए के आबंटन से 49% अधिक है।[221] जनवरी 2022 तक, 8.1 करोड़ सदस्यों के साथ आजीविका योजना के अंतर्गत 70.9 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं।[222]
'मिशन इंद्रधनुष' के अंतर्गत 3.5 करोड़ से अधिक बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया।	▪ मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य निम्न टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में टीकाकरण रहित और आंशिक टीकाकरण वाले बच्चों को कवर करना है। इसमें बच्चों के लिए 12 रोगों के टीके हैं। दिसंबर 2021 तक योजना के अंतर्गत 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन हो गया है।[223] राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) (2019-21) के अनुसार 12 से 23 महीने की उम्र के बच्चों में फुल वैक्सीनेशन कवरेज 76.4% था, जो एनएफएचएस-4 (2015-16) के अनुसार 62% से अधिक है।[204]
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश भर में वन स्टॉप सेंटर, अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने जैसी कई पहल पर तेजी से काम चल रहा है।	▪ **वन स्टॉप सेंटर**: इन्हें 2015 में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया था ताकि हिंसा प्रभावित महिलाओं की मदद की जा सके। इन सेंटर्स में शेल्टर के अतिरिक्त पुलिस, मेडिकल, कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। सितंबर 2021 तक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 733 सेंटर्स को मंजूरी दी गई थी जिनमें से 704 काम कर रहे हैं।[224] ▪ **फास्ट ट्रैक अदालत**: 2019 में विधि विभाग ने 1,023 अदालतों की स्थापना की मांग की है जिसमें बलात्कार के लंबित मामलों के फास्ट ट्रायल और निपटारे के लिए 634 फास्ट ट्रैक अदालतें और बच्चों के यौन शोषण के मामलों के लिए 389 विशेष अदालतें शामिल हैं।[225] इन्हें अगले दो वर्षों (2021-23) के लिए 1,573 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूर किया गया है। अक्टूबर 2021 तक बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों पर विशेष रूप से सुनवाई करने वाली 381 अदालतों सहित 681 फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालतों को 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंक्शनल बनाया गया।[226] इसके अतिरिक्त

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	14वें वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, एचआईवी/एड्स आदि से संबंधित दीवानी मामलों और 5 साल से अधिक समय से लंबित संपत्ति से संबंधित मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं। अक्टूबर 2021 तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 914 फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 31.92 लाख मामलों का निपटारा फास्ट-ट्रैक अदालतों (2015 से) द्वारा किया गया है, जबकि फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों ने अक्टूबर 2021 तक 64,217 मामलों का निपटारा किया है।[226]
राष्ट्रीय पोषण अभियान, मुफ्त जांच और गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में कार्य किया जा रहा है।	▪ राष्ट्रीय पोषण अभियान को 2017 में 9,046 करोड़ रुपए के बजट के साथ तीन वर्षों के लिए मंजूर किया गया।[227] यह स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर को कम करने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य स्टंटिंग, अल्पपोषण और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2% और एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में) को 3% प्रति वर्ष कम करना है। इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य 2022 तक स्टंटिंग को 38.4% (एनएफएचएस-4) से घटाकर 25% तक करना है। उल्लेखनीय है कि एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार, पांच या उससे कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग घटकर 35.5% हो गई है। जनवरी 2022 तक योजना के अंतर्गत 12.5 करोड़ आंगनवाड़ी केंद्रों को पंजीकृत किया गया है और 10.5 करोड़ लाभार्थियों ने योजना का लाभ उठाया है।[228]
सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।	▪ मार्च 2021 तक भारतीय सेना में 6,796 महिला कर्मचारी थीं। वायु सेना और नौसेना में क्रमश: 1,602 और 696 महिला कर्मचारी हैं।[229] केंद्र सरकार ने सैन्य पुलिस कॉर्प्स में चरणबद्ध तरीके से 1700 महिलाओं के दाखिले को मंजूरी दी है।[230] इसके अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों के लिए प्रवेश खोल दिया है, जिससे लड़कियों को जुलाई 2022 के कोर्सेज़ से एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल जाएगी। पहले बैच के लिए लिखित परीक्षा 14 नवंबर, 2021 को संचालित की गई है।[230]
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट को लागू किया गया है।	▪ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019 को संसद ने पारित कर दिया।[231] इसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसका जेंडर जन्म के समय नियत जेंडर से मेल नहीं खाता। एक्ट ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सेवा प्रदान करने से इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना शामिल हैः (i) शिक्षा, (ii) रोजगार, (iii) स्वास्थ्य सेवा, (iv) सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच और

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति

उसका उपभोग, (v) कहीं आने-जाने (मूवमेंट) का अधिकार (vi) किसी प्रॉपर्टी में निवास करने, उसे किराये पर लेने, स्वामित्व हासिल करने या अन्यथा उसे कब्जे में लेने का अधिकार, (vii) सार्वजनिक या निजी पद को ग्रहण करने का अवसर, और (viii) किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच जिसकी देखभाल या निगरानी में कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। सितंबर 2020 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 को अधिसूचित किया गया।[232] नीचे दी गई तालिका में 2019 के एक्ट और 2020 के नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाया गया है:-

तालिका 23: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019 का कार्यान्वयन

उपाय	स्थिति
2020 के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को निर्दिष्ट फॉर्म में जिला मेजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। इसे व्यक्तिगत रूप से या डाक के जरिए जमा कराया जा सकता है, जब तक कि संबंधित राज्य सरकार ऑनलाइन सुविधा विकसित नहीं कर लेती।	सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय ने 25 नवंबर, 2020 को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति पोर्टल शुरू किया।[233] इस पोर्टल के जरिए किसी फिजिकल इंटरफेस के बिना ट्रांसजेंडर आवेदक आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड हासिल कर सकता है। जनवरी 2022 तक पोर्टल पर 4,527 सर्टिफिकेट्स और 4,524 आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए हैं।[234]
2020 के नियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि उपयुक्त सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा, तथा योजनाओं तथा कल्याणकारी उपायों तक पहुंच के लिए वेल्फेयर बोर्ड्स बनाने चाहिए।	12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाए हैं।[235] इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं।
2019 के एक्ट में निर्दिष्ट किया गया है कि उपयुक्त सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आजीविका को सहयोग देने के लिए कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम बनाने चाहिए जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार शामिल हैं।	सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ पांच वर्षों के लिए सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज़ (स्माइल) नामक योजना बनाई है।[233] इस योजना की एक उपयोजना है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास। यह उपयोजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास, मेडिकल सुविधाओं के प्रावधान, काउंसिलिंग, शिक्षा, दक्षता विकास और आर्थिक लिंकेज पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री- दक्षता और कौशल सम्पन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) के जरिए ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दक्षता विकास प्रशिक्षण दिया जाता है।[233,236]
2019 के एक्ट में निर्दिष्ट किया गया है कि उपयुक्त सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कदम उठाएगी। 2020 के नियम कहते हैं कि उपयुक्त सरकार नियमों के लागू होने के दो वर्षों के भीतर संस्थागत और अवसंरचनागत सुविधाएं तैयार करेगी जिसमें अस्थायी शेल्टर्स, शॉर्ट-स्टे होम्स और	नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम नाम से एक योजना शुरू की।[237] इसमें पायलट प्रॉजेक्ट आधार पर 10 शहरों को चिन्हित किया गया है जहां 13 शेल्टर होम्स (गरिमा गृह) बनाए जाएंगे। प्रत्येक होम में कम से कम 25 ट्रांसजेंडर लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। इन शेल्टर होम्स में भोजन, मेडिकल देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।[238] इसके अतिरिक्त यह होम ट्रांसजेंडर लोगों के क्षमता निर्माण/दक्षता विकास के लिए सहयोग प्रदान करेगा।[238] दिसंबर,

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति	
	आवास, अस्पतालों में पुरुष, महिला या अलग वॉर्ड्स तथा इस्टैबलिशमेंट्स में अलग वॉशरूम्स का विकल्प।	2021 तक मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ओड़िशा में 12 पायलट शेल्टर होम्स शुरू किए हैं।[233]
	शिक्षा	
21वीं सदी की विश्वव्यापी जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है।	▪ **राष्ट्रीय शिक्षा नीति:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को 30 जुलाई, 2020 को जारी किया गया जिसमें समावेशी डिजिटल शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे: (i) ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरफेस विकसित करना, (ii) कोर्सवर्क के लिए डिजिटल रेपोजिटरी बनाना, (iii) कई भाषाओं में टेलीविजन, रेडियो और मास मीडिया जैसे दूसरे चैनलों का इस्तेमाल, जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, (iv) वर्चुअल लैब्स बनाना, और (v) शिक्षकों को उच्च स्तर के ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। एनईपी में यह अनिवार्य किया गया है कि स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्रमशः का नया और व्यापक राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाए। सितंबर 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमिटी बनाई।[239] ▪ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 28 जुलाई, 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन) रेगुलेशन, 2021 को अधिसूचित किया।[240] रेगुलेशन एक एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना करते हैं, जो सभी पंजीकृत उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) से विद्यार्थियों के एकैडमिक क्रेडिट को स्टोर करने वाली एक ऑनलाइन इकाई होगी। यह एक क्रेडिट ट्रांसफर मैकैनिज्म को एनेबल करेगा, जिसमें विद्यार्थी उनकी पसंद के समय, स्थान और सीखने के स्तर के अनुसार अपनी उच्च शैक्षिक डिग्री को तैयार कर सकेंगे। ▪ **डिजिटल शिक्षा**: मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने 14 जुलाई, 2020 को स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए जोकि बताते हैं कि स्कूलों को डिजिटल लर्निंग के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। उसकी मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) घरों को स्कूली सर्वे के जरिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रावधान, (ii) शिक्षकों द्वारा डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और विशेष जरूरतों जैसे कारकों के आधार पर व्यापक योजना बनाना, (iii) प्रति दिन स्क्रीन टाइम और शिक्षकों की कुल ऑनलाइन गतिविधियों को सीमित करना,[241] और (iv) भारतनेट योजना के अंतर्गत इंटरनेट का उपयोग सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में	

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति

कनेक्टिविटी में सुधार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को स्कूलों सहित सरकारी संस्थानों को फाइबर प्रदान करने का काम सौंपा गया है। यह परियोजना संबंधित ग्राम पंचायतों के सरकारी स्कूलों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए है।[242]

- **पीएम ईविद्या**: मई 2020 में पीएम ईविद्या योजना को शुरू किया गया ताकि ऑनलाइन शिक्षा के एक्सेस के सभी प्रयासों को एकीकृत किया जा सके।[243] योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

तालिका 24: पीएम ईविद्या योजना के घटक [244, 245]

घटक और उद्देश्य	कार्यान्वयन की प्रगति
शिक्षकों के लिए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जोकि भारत में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाता है	2017 में पोर्टल शुरू किया गया। 2019 में यह 67,000 कंटेंट पीस को होस्ट करता है।
क्यूआर कोड वाली टेक्स्टबुक्स	क्यूआर कोड वाली टेक्स्टबुक्स से 10.5 करोड़ स्कैन किए गए।
हर ग्रेड के लिए डेडिकेटेड टीवी चैनल की 'वन क्लास, वन चैनल' योजना	2019 तक योजना में चार घंटों के दैनिक एयर टाइम के साथ 5 डेडिकेटेड चैनल हैं।
मूक बधिरों के लिए ई-कंटेंट	एक डीटीएच चैनल विशेष रूप से बधिर विद्यार्थियों के लिए सांकेतिक भाषा में कंटेंट देता है। दृष्टिहीनों और बधिरों के लिए यू ट्यूब और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर कंटेंट उपलब्ध है।
सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट	289 सामुदायिक रेडियो स्टेशन वर्तमान में देश भर में संचालित हैं। मंत्रालय द्वारा संचालित पॉडकास्ट में सीबीएसई बोर्ड के ग्रेड 9 से 12 तक की सामग्री है।
टॉप 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति	स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयं) पोर्टल पर दो हजार से अधिक रिकॉर्ड किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं। यह पोर्टल ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच है।

- 4.4% ग्रामीण पारिवारिक इकाइयों के पास कंप्यूटर (स्मार्टफोन के अतिरिक्त) है और लगभग 15% के पास इंटरनेट की सुविधा। शहरी पारिवारिक इकाइयों से 42% के पास इंटरनेट है (2017-18 के आंकड़े)।[246] तालिका 25 में पारिवारिक इकाइयों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस और 5-14 वर्ष के बच्चों में उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता को स्पष्ट किया गया है।

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	तालिका 25: कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा और उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता (2017-18) [246]

विवरण	कंप्यूटर वाली पारिवारिक इकाइयां	इंटरनेट सुविधा वाली पारिवारिक इकाइयां	5-14 वर्ष के बच्चों में कंप्यूटर इस्तेमाल करने की क्षमता	5-14 वर्ष के बच्चों में इंटरनेट इस्तेमाल करने की क्षमता
ग्रामीण	4.4%	14.9%	5.1%	5.1%
शहरी	23.4%	42.0%	21.3%	19.7%
कुल	10.7%	23.8%	9.1%	8.8%

नोट: कंप्यूटर में स्मार्टफोन शामिल नहीं है। कंप्यूटर का उपयोग करने की क्षमता का अर्थ है निम्नलिखित किसी भी कार्य में सक्षम होना जैसे: (i) फ़ाइल/फोल्डर को कॉपी या ट्रांसफर करना, (ii) ईमेल भेजना, (iii) कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच फ़ाइलों को ट्रांसफर करना, इत्यादि। इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता का अर्थ है कि वेबसाइट नेविगेशन के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने में सक्षम होना, ई-मेल या सोशल नेटवर्किंग एप्लिकेशन का उपयोग करना।

2014 में केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज देश में 562 मेडिकल कॉलेज हैं।	▪ देश में 2014 से अब तक 132 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 77 निजी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। 2014 से मेडिकल कॉलेजों में स्नातक सीटों और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में क्रमशः 72% और 78% की वृद्धि हुई है।[247] ▪ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत 22 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इनमें से छह (भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश) फंक्शनल हैं।[248]
संचार	
हर गांव का बिजलीकरण सुनिश्चित करने के बाद सरकार ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से देश के 6 लाख से अधिक गांवों को जोड़ने का एक अभियान चला रही है।	▪ 2011 में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट को शुरू किया गया था। इसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इनिशिएटिव कहा जाता था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवीं किश्त में, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतनेट योजना के लिए 19,401 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई थी।[76] सितंबर 2021 तक परियोजना के अंतर्गत 26,044 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।[249] जनवरी, 2022 तक 5.58 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर 1.81 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। इनमें से 1.71 लाख ग्राम पंचायतें सेटेलाइट मीडिया पर सेवा के लिए तैयार हैं।[250]

नीतिगत प्राथमिकता	मौजूदा स्थिति
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
'इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर-इन-स्पेस (IN-SPACe)' के गठन से अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधारों में तेजी आएगी। आज इसरो के स्पेस साइंटिस्ट्स 'चंद्रयान-3', 'गगनयान' और 'स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल' जैसे अहम मिशन्स पर काम कर रहे हैं।	▪ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है जोकि अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। निजी कंपनियां भी इन-स्पेस के माध्यम से इसरो के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर पाएंगी।[251] ▪ चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित तीसरा चंद्र अभियान होगा। यह लॉन्च 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्षमता और डिजाइन के लिहाज से चंद्रयान-2 के आधार पर परिष्कृत किया गया है।[252,253] ▪ भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गंगायान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए 9,023 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए के भीतर होने का अनुमान है, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास, फ्लाइट हार्डवेयर रियलाइजेशन और बुनियादी ढांचे को विकसित करने की लागत शामिल है। चार लोगों को अंतरिक्ष उड़ान का प्रशिक्षण देने और डिजाइन, विकास और वितरण पर राष्ट्रीय सहयोग का काम शुरू हो गया है। मानव रहित अभियानों के लिए शैक्षणिक संस्थानों से चार जैविक और दो भौतिक विज्ञान संबंधी प्रयोगों को सूचीबद्ध किया गया है।[254] यूएसए, रूस और चीन के बाद भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।[255] ▪ इसरो 2022 की पहली तिमाही में निजी भागीदारी के साथ एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) विकसित कर रहा है। सरकार ने वाहन प्रणालियों के विकास और योग्यता और तीन विकास उड़ानों के माध्यम से उड़ान प्रदर्शन सहित विकास परियोजना के लिए कुल 169 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी है।[256]

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

1 Address by the President of India to the Joint Sitting of two houses of Parliament, Office of the President of India, January, 2021, https://presidentofindia.nic.in/writereaddata/Portal/Speech/Document/835/1_sp290121.pdf.

2 Factsheet on Foreign Direct Investment, April, 2000 to September 2021, https://dpiit.gov.in/sites/default/files/FDI_Factsheet_Spetember-21.pdf.

3 Factsheet on Foreign Direct Investment, April, 2000 to September 2020, https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_Fact_sheet_September_20.pdf.

4 Factsheet on Foreign Direct Investment, April, 2000 to September 2019, https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_Factsheet_September2019_01January2019.pdf.
5 Weekly Statistical Supplement, Reserve Bank of India, Last accessed on January 18, 2022, https://m.rbi.org.in/SCRIPTS/WSSViewDetail.aspx?TYPE=Section&PARAM1=2.
6 "India's Foreign Trade Data: December, 2021", Ministry of Commerce and Industry, Press Information Bureau, January 14, 2022.
7 Unique Identification Authority of India, State/UT wise Aadhaar saturation, last accessed on January 5, 2021, https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/india.php.
8 Population projection for India and States 2011-2036, Census of India, November 2019, https://nhm.gov.in/New_Updates_2018/Report_Population_Projection_2019.pdf.
9 Rajya Sabha Unstarred Question No 717, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 3, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU717.pdf.
10 Rajya Sabha Unstarred Question No. 2315, Department of Food and Public Distribution, December 7, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU2315.pdf.
11 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Archive, last accessed on January 5, 2022, https://www.pmjdy.gov.in/Archive.
12 Direct Benefit Transfer, Government of India, last accessed January 24, 2022, https://dbtbharat.gov.in/.
13 Doing Business – Data Irregularities Statement, The World Bank, August 27, 2020, https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/08/27/doing-business---data-irregularities-statement.
14 World Bank Group to Discontinue Doing Business Report, World Bank, September 16, 2021, https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report.
15 State Business Reform Action Plan -2019 Implementation Guide for States/UTs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, February 2019, https://dipp.gov.in/sites/default/files/Implementation_Guide_2019_dated_04022019.pdf
16 State wise ease of doing business rank, Reserve Bank of India, October 13, 2020, https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=20117.
17 Launch of Regulatory Compliance Portal to minimize Regulatory Compliance Burden for Businesses and Citizens, Ministry of Commerce and Industry, Press Information Bureau, January 20, 2021.
18 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf.
19 Rajya Sabha Unstarred Question No. 2603, Ministry of Finance, December 21, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU2603.pdf.
20 Pradhan Mantri MUDRA Yojana, last accessed on January 18, 2022, https://www.mudra.org.in/
21 Notification on Classifying the enterprises as micro, small and medium enterprises, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, 26 June, 2020, https://msme.gov.in/sites/default/files/IndianGazzate_0.pdf.
22 Atmanirbhar Presentation Part-1 Business including MSMEs, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, May 20, 2020, https://msme.gov.in/sites/default/files/AtmanirbharPresentationPart-1BusinessincludingMSMEs13-5-2020_0.pdf.
23 S.O. 2119(E), Notification, Ministry of Micro, Medium and Small Enterprises, The Gazette of India, June 26, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/220191.pdf.
24 Atmanirbhar Presentation Part-1 Business including MSMEs, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, May 20, 2020, https://msme.gov.in/sites/default/files/AtmanirbharPresentationPart-1BusinessincludingMSMEs13-5-2020_0.pdf.
25 "Cabinet approves additional funding of up to Rupees three lakh crore through introduction of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)", Press Information Bureau, Cabinet, May 20, 2020.
26 "Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) launches another funding scheme to help the distressed MSME sector", Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Press Information Bureau, June 24, 2020.
27 Guidelines for Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt to Stressed/NPA MSMEs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, August 19, 2020, https://msme.gov.in/sites/default/files/SubdebtBookletversion 2.pdf.
28 Amendment in General Financial Rules -GFRs- 2017 - Global Tender Enquiry, Department of Expenditure, May 15, 2020, https://doe.gov.in/sites/default/files/Amendment%20in%20General%20Financial%20Rules%202017%20-%20Global%20Tender%20Enquiry.pdf.
29 Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II), Ministry of Commerce and Industry, June 4, 2020, https://dipp.gov.in/sites/default/files/PPP%20MII%20Order%20dated%204th%20June%202020.pdf.
30 The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020, Ministry of Corporate Affairs, 2020, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/IBCAmedBill_05062020.pdf.
31 S.O. 4638(E), Ministry of Corporate Affairs, December 22, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/223855.pdf.
32 S.O. 3265 (E), Ministry of Corporate Affairs, September 24, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/221936.pdf.
33 S.O. 1205(E), Gazette of India, Ministry of Corporate Affairs, March 24, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/218898.pdf.
34 The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Act, 2020, Ministry of Corporate Affairs, September 23, 2020, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/IBCAmedBill_24092020.pdf.
35 "Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2021", The Gazette of India, Ministry of Law and Justice, April 4, 2021.
36 "Quarterly newsletter for July-September, 2021", Insolvency and Bankruptcy Board of India, https://ibbi.gov.in/uploads/publication/7e5404fe0e56d996338a37795fde02d8.pdf.
37 Lok Sabha Unstarred Question No. 2817, Ministry of Electronics and Information Technology, December 15, 2021, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/177/AU2817.pdf.
38 Lok Sabha Unstarred Question No. 2264, Ministry of Electronics and Information Technology, March 4, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU2264.pdf.
39 Rajya Sabha Unstarred Question No 3421, Ministry of Electronics and Information Technology, March 25, 2021, https://pqars.nic.in/annex/253/AU3421.pdf.

40 Annual Report, Ministry of Electronics and Information Technology, 2020, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Annual_Report_2019%E2%80%9320.pdf.

41 Annual Report, Ministry of Electronics and Information Technology, 2018, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Annual_Report_2017%E2%80%9318.pdf.

42 Annual Report, Ministry of Electronics and Information Technology, 2021, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/MeitY_AR_English_2020-21.pdf.

43 Electronics Manufacturing Schemes, Press Information Bureau, Ministry of Electronics and Information Technology, 2020.

44 EXPORT AND IMPORT OF MOBILE PHONES, Ministry of Commerce and Industry, Press Information Bureau, December 17, 2021.

45 "Guidelines for the operation of Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing", Ministry of Electronics and Information Technology, June 1, 2020, https://meity.gov.in/writereaddata/files/PLI-Guidelines-01062020.pdf.

46 "Appraisal and Disbursement Guidelines for effective functioning of the scheme for promotion of manufacturing of electronic components and semiconductors (SPECS), Ministry of Electronics and Information Technology, June 1, 2020, https://meity.gov.in/writereaddata/files/SPECS-Guidelines-01062020.pdf.

47 "Guidelines for implementation of Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme", Ministry of Electronics and Information Technology, June 1, 2020, https://meity.gov.in/writereaddata/files/EMC-2.0-Guidelines-01062020.pdf.

48 YEAR END REVIEW 2021: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Ministry of Electronics and IT, Press Information Bureau, December 31, 2021.

49 Rajya Sabha Unstarred Question No. 699, Department of Telecommunications, December 3, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU699.pdf.

50 42 companies selected under PLI Scheme for White Goods, Ministry of Commerce and Industry, Press Information Bureau, November 3, 2021.

51 Rajya Sabha Unstarred Question No. 1760, Ministry of Steel, December 13, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1760.pdf.

52 "Rs.76000 crore (>10 billion USD) approved for development of semiconductors and display manufacturing ecosystem in India; Setting up of India Semiconductor Mission (ISM) to drive this sector", Ministry of Electronics and Information Technology, Press Information Bureau, December 15, 2021.

53 No. W-38/30/2021-IPHW, Ministry of Electronics and Information Technology, The Gazette of India, December 21, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232055.pdf.

54 F. No. W-38/6/2021-IPHW, Ministry of Electronics and Information Technology, The Gazette of India, December 21, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232048.pdf.

55 Website of Semi-Conductor Laboratory as accessed on December 28, 2021, https://www.scl.gov.in/scl.html.

56 F. No. 12015/03/2020-IT, Gazette of India, September 24, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/229974.pdf.

57 Rajya Sabha Unstarred Question No. 797, Ministry of Textiles, December 3, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU797.pdf.

58 S.O. 4044 (E) – Production Linked Incentive (PLI) scheme for drones and drone components in India, Ministry of Civil Aviation, September 30, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/230076.pdf.

59 "Government Notifies PLI Scheme for Automobile & Auto components", Press Information Bureau, Ministry of Heavy Industries, September 24, 2021.

60 S.O. 3946 (E), The Gazette of India, Ministry of Heavy Industries, September 23, 2021, https://dhi.nic.in/writereaddata/UploadFile/PLI%20Auto%20Scheme.pdf.

61 S.O. 3947 (E), The Gazette of India, Ministry of Heavy Industries, September 23, 2021, https://dhi.nic.in/writereaddata/UploadFile/PLI%20AUto%20Guidelines.pdf.

62 Cabinet approves Production Linked Incentive scheme "National Programme on Advanced Chemistry Cell Battery Storage", Cabinet, Press Information Bureau, May 12, 2021.

63 "DCGI approves Phase II/III clinical trial of COVAXIN in the age group of 2 to 18 Years", Press Information of Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, May 13, 2021.

64 Twitter handle of Press Information Bureau, June 29, 2021, https://twitter.com/PIB_India/status/1409843877482098688.

65 FDA Takes Additional Action in Fight Against COVID-19 By Issuing Emergency Use Authorization for Second COVID-19 Vaccine, December 18, 2020, https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fdatakes-additional-action-fight-against-covid-19-issuingemergency-use-authorization-second-covid.

66 Twitter handle of the Minister of Health and Family Welfare, Government of India, August 7, 2021, https://twitter.com/mansukhmandviya/status/1423915409791610886?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed %7Ctwterm%5E1423915409791610886%7Ctwgr%5E%7Ct.

67 DBT-BIRAC supported ZyCoV-D developed by Zydus Cadila Receives Emergency Use Authorization", Press Information Bureau, Ministry of Science and Technology, August 20, 2021.

68 Twitter handle of the Minister of Health and Family Welfare, Government of India, December 28, 2021, https://twitter.com/mansukhmandviya/status/1475699946544570372.

69 "Cumulative Coverage Report of COVID-19 Vaccination", Ministry of Health and Family Welfare, July 24, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/CummulativeCovidVaccinationReport23july2021.pdf.

70 "Update on Ayushman Bharat – Health & Wellness Centres", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, December 14, 2021.

71 Rajya Sabha Unstarred Question No 2639, Ministry of Health and Family Welfare, December 21, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU2639.pdf.

72 Demand No. 44, Ministry of Health and Family Welfare, Union Budget 2021-22, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe44.pdf.

73 "Government Reforms and Enablers, Major announcements and policy reforms under Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan", MyGov, May 17, 2020, https://blog.mygov.in/wp-content/uploads/2020/05/Aatma-Nirbhar-Bharat-Presentation-Part-5.pdf.

74 First Supplementary Demands for Grants, 2020-21, Ministry of Finance, September 2020, https://dea.gov.in/sites/default/files/1st%20Batch%20of%20Syupl%20Demand%202020-2021_1.pdf.

75 "Government of India sanctions Rs. 15000 crores for India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, April 9, 2020.

76 Presentation of details of 5th Tranche announced by Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman under Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan to support Indian economy in fight against COVID-19, June 28, 2021, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/jun/doc202162821.pdf.

77 Rs 1.1 lakh crore loan guarantee scheme for COVID affected sectors, Ministry of Finance, Press Information Bureau, June 28, 2021.

78 Rs. 35,000 Crore Allocated for Covid-19 Vaccine, Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, February 1, 2021.

79 "PM launches PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission", Press Information Bureau, Prime Minister's Office, October 25, 2021.

80 Total Operational (initiated independent testing) Laboratories reporting to ICMR, Indian Council for Medical Research, January 12, 2021, https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/archive/COVID_Testing_Labs_12012022.pdf

81 ICMR website, Accessed on November 17, 2021, https://www.icmr.gov.in/index.html.

82 SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing: Status Update, Indian Council of Medical Research, Ministry of Health and Family Welfare, January 15, 2022.

83 Consultation Paper on Unified Health Interface, Ministry of Health and Family Welfare, July 23, 2021.

84 Draft Health Data Management Policy, Ministry of Health and Family Welfare, https://ndhm.gov.in/stakeholder_consultations/ndhm_policies

85 "Prime Minister of India launches countrywide Ayushman Bharat Digital Mission", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, September 27, 2021.

86 "PM Atma Nirbhar Swasth Bharat Yojana", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, March 15, 2021.

87 PM-JAY website, last accessed on January 12, 2021, Ministry of Health and Family Welfare, https://pmjay.gov.in/.

88 'Ayushman Bharat: Costs and Finances of the Prime Minister Jan Arogya Yojana', Institute of Economic Growth, Study Report for the 15th Finance Commission, https://fincomindia.nic.in/ShowContentOne.aspx?id=27&Section=1.

89 Economic Survey, 2020-21, Ministry of Finance, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/.

90 "Report No. 118: Demands for Grants 2020-21 (Demand No. 42) of the Department of Health and Family Welfare", Standing Committee on Health and Family Welfare, March 3, 2020, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/Re portFile/14/121/118_2020_3_15.pdf.

91 Accessibility, Acceptability, Affordability: A National Perspective Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana 2015, Bureau of Pharma PSUs of India, http://janaushadhi.gov.in/pmjy.aspx.

92 Unstarred Question 1787, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Rajya Sabha, December 14, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1787.pdf.

93 Report No 17, Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, March 17, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Chemicals%20&%20Fertilizers/17_Chemicals_And_Fertilizers_17.pdf.

94 "Traders to get pension coverage", Press Information Bureau, Ministry of Labour and Employment, May 31, 2019.

95 "Landmark decision taken in the first Cabinet meeting of the NDA Government offers pension coverage to crores of farmers", Press Information Bureau, Cabinet, May 31, 2019.

96 S.O. 764(E), Gazette of India, Ministry of Labour and Employment, February 7, 2019, https://labour.gov.in/sites/default/files/197105.pdf.

97 Maandhan Portal, Ministries of Labour and Employment, and Agriculture and Farmers' Welfare, last accessed in January 11, 2022, https://maandhan.in/analytics.

98 The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, as passed by Lok Sabha, September 22, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/122-C_2020_LS_Eng.pdf.

99 The Industrial Relations Code, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2020/Industrial%20Relations%20Code,%202020.pdf.

100 The Code on Social Security, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2020/Code%20On%20Social%20Security,%202020.pdf.

101 The Code on Wages, 2019, https://labour.gov.in/sites/default/files/THE%20CODE%20ON%20WAGES%2C%202019%20No.%2029%20of%202019.pdf

102 G.S.R. 684(E), Gazette of India, Ministry of Labour and Employment, October 29, 2020, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222829.pdf.

103 The Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2020, https://labour.gov.in/sites/default/files/OSH_Rules.pdf.

104 G.S.R. 684(E), Gazette of India, Ministry of Labour and Employment, October 29, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222829.pdf.

105 Rajya Sabha Starred Question No. 207, Ministry of Labour and Employment, December 16, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AS207.pdf.

106 "Massive employment generation-cum-rural public works creation campaign - the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan launched by Prime Minister Shri Narendra Modi today", Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, June 20, 2020.

107 About 50.78 crore person-days employment generated during the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan with a total expenditure of Rs. 39,293 crore, Ministry of Rural Development, Press Information Bureau, July 27, 2021.

108 Rajya Sabha Unstarred Question No. 2850, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, December 12, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/Au2850.pdf.

109 "Historic decisions for MSME sector, street vendors and farmers taken, Press Information Bureau", Prime Minister's Office, June 1, 2020.

110 PM-SVANidhi Dashboard, Ministry of Housing and Urban Affairs, Last accessed on January 19, 2022, https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/PMSDashboard.

111 Report no 10 on PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi), December 13, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/17_Housing_and_Urban_Affairs_10.pdf.

112 "Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus", Press Information Bureau, Ministry of Finance, March 26, 2020.

113 ""Pradhan Mantri Garib Kalyan Package: Insurance Scheme for Health Workers fighting COVID-19", extended for a further period of 180 days", Ministry of Health and Family Welfare, Press Information Bureau, October 20, 2021.

114 "PM announces extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana till November", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, June 30, 2020.

115 "Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana extended till Deepawali", Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Press Information Bureau, June 8, 2021.

116 "Cabinet approves extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY) for another four months (December 2021-March 2022)", Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Press Information Bureau, November 24, 2021.

117 Rajya Sabha Unstarred Question No 1543, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, December 10, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1543.pdf.

118 Starred Question NO.39, Lok Sabha, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/176/AS39.pdf.

119 PM-KISAN Dashboard, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, last accessed on January 8, 2022, https://www.pmkisan.gov.in/StateDist_Beneficiery.aspx.

120 Demand No. 1, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare, Expenditure Budget, Union Budget 2021-22, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe1.pdf.

121 PM releases 10th instalment of PM-KISAN, Ministry of Agriculture and Farmers welfare, Press Information Bureau, January 1, 2022.

122 Report no. 6, Standing Committee on Agriculture: 'Demand for Grants (2019-20), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare', Lok Sabha, December 2019, http://164.100.47.193/lsscommittee/Agriculture/17_Agriculture_6.pdf.

123 PM-Fasal Bima Yojana Dashboard, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, last accessed on January 8, 2022, https://pmfby.gov.in/ceo/dashboard.

124 Report no. 29, Standing Committee on Agriculture, September 10, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Agriculture,%20Animal%20Husbandry%20and%20Food%20Processing/17_Agriculture_29.pdf.

125 Statement Showing Minimum Support Prices - Fixed by Government (Rs. quintal), Farmers' Portal, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, 2021, https://farmer.gov.in/mspstatements.aspx.

126 Rajya Sabha Unstarred Question No. 1534, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 10, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1534.pdf.

127 Procurement Data, Food Corporation of India, Last accessed on January 20, 2021, https://fci.gov.in/procurements.php?view=297.

128 Evaluation Report on Efficacy of Minimum Support Prices (MSPs), NITI Aayog, January 2016, http://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/MSP-report.pdf.

129 Chapter 4, Volume 1, Economic Survey 2019-20, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/vol1chapter/echap04_vol1.pdf.

130 "ONORC now successfully operational in 34 states", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, August 28, 2021.

131 Lok Sabha Unstarred Question No 2926, Ministry of Consumer Affairs, Food, and Public Distribution, December 15, 2021, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/177/AU2926.pdf.

132 "Rs. 1000 Crore sanctioned to over 2280 farmer societies under Agriculture Infrastructure Fund within 30 days of receiving Cabinet approval for the Central Sector Scheme", Press Information Bureau, Prime Minister's Office, August 9, 2020.

133 "Cabinet approves Central Sector Scheme of financing facility under 'Agriculture Infrastructure Fund'", Press Information Bureau, Cabinet, July 8, 2020.

134 "Agriculture Infrastructure Fund", Press Information Bureau, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, December 7, 2021.

135 Agriculture Sector, Major announcements and policy reforms under Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan, MyGov, May 15, 2020, https://blog.mygov.in/wp-content/uploads/2020/05/Aatma-Nirbhar-Bharat-Presentation-Part-3_15-5-2020.pdf.

136 Rajya Sabha Unstarred Question 2433, Ministry of Agriculture and Family Welfare, August 10, 2021, https://pqars.nic.in/annex/254/AU2433.pdf.

137 Unstarred Question 2355, Rajya Sabha, Ministry of Railways, December 17, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU2355.pdf.

138 "Cabinet approves Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for boosting fisheries sector", Press Information Bureau, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, May 20, 2020.

139 Operational Guidelines, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, June 2020, https://pmmsy.dof.gov.in/new-download.

140 Year End Review- 2020, Department of Fisheries, Press Information Bureau, December 23, 2020.

141 Rajya Sabha Unstarred Question No. 2336, Department of Fisheries, December 17, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU2336.pdf.

142 Unstarred Question 2339, Rajya Sabha, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, December 17, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU2339.pdf

143 Status of tap water supply in rural homes, Jal Jeevan Mission, Ministry of Jal Shakti, last accessed on January 13, 2022, https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx.

144 Background on Jal Jeevan Mission, Ministry of Jal Shakti, https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/files/JJM_note.pdf.

145 Demand no. 62, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Union Budget 2021-22, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe62.pdf.

146 Finance Commission Report (2021-26), Volume III, February 1, 2021, file:///C:/Users/Prs/Downloads/XVFC%20Complete_Report.pdf.

147 Standing Committee on Demand for Grants (2020-21), Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, March 5, 2020, http://164.100.47.193/lsscommittee/Water%20Resources/17_Water_Resources_4.pdf.

148 National Water Mission, Ministry of Jal Shakti, Last accessed on January 18, 2022, http://nwm.gov.in/?q=nwm-dashboard.

149 "Decision -/CP.26", Glasgow Climate Pact, United Nations Framework Convention on Climate Change, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf.

150 "National Statement by Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26 Summit in Glasgow", Press Information Bureau, November 1, 2021.

151 All India Installed Capacity, Central Electricity Authority, December 2021, https://cea.nic.in/wp-content/uploads/installed/2021/12/installed_capacity.pdf.

152 "Cabinet approves Measures to promote Hydro Power Sector", Union Cabinet, Press Information Bureau, March 7, 2019.

153 "India has achieved its NDC target with total non-fossil based installed energy capacity of 157.32 GW which is 40.1% of the total installed electricity capacity ", Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, December 28, 2021, https://pib.gov.in/pressreleaseiframepage.aspx?prid=1785808

154 State of Forest Report 2021, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, January 2022, https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details.

155 Report No. 18 – Development of Coal Blocks Allocated to Power Sector Companies, Standing Committee on Energy, August 5, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Energy/17_Energy_18.pdf.

156 Rajya Sabha Unstarred Question Number 1463, Ministry of Defence, Government of India, August 2, 2021, https://pqars.nic.in/annex/254/AU1463.pdf.

157 Preparedness of Armed Forces – Defence Production and Procurement, Estimates Committee, Lok Sabha, July 25, 2018, http://164.100.47.193/lsscommittee/Estimates/16_Estimates_29.pdf.

158 3rd Report, Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning, Standing Committee on Defence, December 2019, http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/17_Defence_3.pdf.

159 Notification S.O. 2691(E), Ministry of Finance, July 29, 2019, http://finance.cg.gov.in/15%20Finance%20Commission/GoI%20 Notification/29-07-2019.pdf.

160 Chapter 11, Report of the 15th Finance Commission for 2021-26, https://fincomindia.nic.in/WriteReadData/html_en_files/fincom15 /Reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf.

161 "32nd Report: Creation of Non-Lapsable Capital Fund Account, Instead of the Present System", Standing Committee on Defence, Lok Sabha, August 4, 2017, http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/16_Defence_32.pdf.

162 "48th Report: Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fortieth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants of the year 2018-19 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning", Standing Committee on Defence, Lok Sabha, January 7, 2019, http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/16_Defence_48.pdf

163 7th Report, Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning, Standing Committee on Defence, March 2020, http://164.100.47.193/lsscommittee/Defence/17_Defence_7.pdf

164 "Presentation of details of 4th Tranche announced by Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman under Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan to support Indian economy to fight against COVID-19, May 16, 2020, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/AatmaNirbhar Bharat Full Presentation Part 4 16-5-2020.pdf

165 "MoD's big push to Aatmanirbhar Bharat initiative; Import embargo on 101 items beyond given timelines to boost indigenisation of defence production", Press Information Bureau, Ministry of Defence, August 9, 2020.

166 "MoD notifies 'Second Positive Indigenisation List' of 108 items to promote self-reliance & defence exports", Press Information Bureau, Ministry of Defence, May 31, 2021.

167 "Union Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation Shri Amit Shah chairs review meeting in New Delhi on Left Wing Extremism", Ministry of Home Affairs, Press Information Bureau, September 26, 2021.

168 "Armed Conflicts in North East Region", Ministry of Home Affairs, Press Information Bureau, November 30, 2021.

169 Assistance for Countering Naxal Activities", Ministry of Home Affairs, Press Information Bureau, December 14, 2021.

170 Chapter 8, Volume 2, Economic Survey 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/vol2chapter/echap08_vol2.pdf.

171 National Infrastructure Pipeline, Investment India Grid, https://indiainvestmentgrid.gov.in/national-infrastructure-pipeline.

172 Volume I, Report of the Task Force National Infrastructure Pipeline, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, April 30, 2020, https://dea.gov.in/sites/default/files/Report%20of%20the%20 Task%20Force%20National%20Infrastructure%20Pipeline% 20%28NIP%29%20-%20volume-i_0.pdf.

173 Volume II, Report of the Task Force National Infrastructure Pipeline, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, April 30, 2020, https://dea.gov.in/sites/default/files/Report%20of%20the%20 Task%20Force%20National%20Infrastructure%20Pipeline% 20%28NIP%29%20-%20volume-ii_0.pdf.

174 NIP Projects, India Investment Grid, Ministry of Commerce and Industry, last accessed on January 5, 2021, https://indiainvestmentgrid.gov.in/opportunities/nip-projects.

175 Dedicated Freight Corridor Projects (EDFC & WDFC) Ending November 2021 accessed on January 17, 2022, Project Status, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, https://dfccil.com/Home/ProgressStatusImage.

176 Bharatmala Pariyojana – 'Road' to country's infrastructure development, Ministry of Road Transport and Highways, Press Information Bureau, December 13, 2021.

177 "Considerations under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana", Press Information Bureau, Ministry of Rural Development, September 18, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1656170.

178 Habitations Coverage, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Ministry of Rural Development, last accessed on January 18, 2022, http://omms.nic.in/.

179 "Standing Committee on Rural Development, 2018-19, Department of Rural Development, Ministry of Rural Development" http://164.100.47.193/lsscommittee/Rural%20Development/16_Rural_Development_52.pdf.

180 "Standing Committee on Rural Development, Demand for Grants 2020-21, Department of Rural Development, Ministry of Rural Development", http://164.100.47.193/lsscommittee/Rural%20Development/17_Rural_Development_4.pdf.

181 Lok Sabha Starred Question No. 394, Ministry of Panchayati Raj, March 23, 2021, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AS394.pdf.

182 SVAMITVA Scheme, Ministry of Panchayati Raj, Last accessed on January 18, 2022, https://svamitva.nic.in/svamitva/index.html?OWASP_CSRFTOKEN=VHTW-DE6K-AZDZ-X8WC-MO4L-PSSK-9L92-O1WM.

183 Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), Ministry of Housing and Urban Affairs, Last accessed on January 18, 2022, https://pmaymis.gov.in/.

184 Demand No. 59, Ministry of Housing and Urban Affairs, Union Budget 2021-22, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe59.pdf.

185 "Rs70,000 crore boost to housing sector and middle-income group through extension of Credit Linked Subsidy Scheme for MIG under PMAY(Urban)", Press Information Bureau, Ministry of Finance, May 14, 2020.

186 Year End Review 2021: Ministry of Housing & Urban Affairs, Press Information Bureau, January 4, 2022.

187 "1st Report of the Standing Committee on Urban Development (2019-20) on Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Housing and Urban Affairs, December 11, 2019, http://164.100.47.193/lsscommittee/Urban%20Development/17_Urban_Development_1.pdf.

188 "Cabinet approves creation of national Urban Housing Fund", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, February 22, 2018, http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176687.

189 "2nd Report of the Standing Committee on Urban Development (2020-21) on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Housing and Urban Affairs, December 3, 2020, http://164.100.47.193/lsscommittee/Urban%20Development/17_ Urban_Development_2.pdf.

190 PMAY(U) Achievement, Ministry of Housing and Urban Affairs, last accessed on January 18, 2021, https://pmay-urban.gov.in/uploads/progress-pdfs/1.pdf.

191 Rajya Sabha Unstarred Question No. 2835, Ministry of Rural Development, December 22, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU2835.pdf.

192 Demand No. 86, Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, Union Budget 2021-22, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe86.pdf; Demand No. 87, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, Union Budget 2021-22, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe87.pdf .

193 Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin, Ministry of Rural Development, last accessed on January 18, 2021, https://www.iay.nic.in/netiay/home.aspx.

194 Report No. 16, Standing Committee on Rural Development, August 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Rural%20Development%20and%20Panchayati%20Raj/17_Rural_Development_16.pdf.

195 Swachh Bharat Mission (Grameen) Dashboard, Department of Drinking Water and Sanitation, last accessed on January 18, 2022, https://sbm.gov.in/sbmdashboard/IHHL.aspx.

196 Swachh Bharat Mission Urban – Financial Progress, Ministry of Housing and Urban Affairs, last accessed on February 11, 2021, http://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/financial_progress.pdf?id=5mw5jzzbj3sabgx4.

197 Swachh Bharat Urban Dashboard, Ministry of Housing and Urban Affairs, Last accessed on January 18, 2022, http://swachhbharaturban.gov.in/dashboard/?id=22effzycsdqph5a5.

198 Swachh Bharat Mission - Gramin in States/UTs, Standing Committee on Rural Development, July 19, 2018, http://164.100.47.193/lsscommittee/Rural%20Development/16_Rural_Development_51.pdf.

199 Report No. 2, Demand for grants 2020-21, Lok Sabha, Standing Committee on Housing and Urban Affairs, March 3, 2020, http://164.100.47.193/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/17_Urban_Development_2.pdf.

200 Report No. 3, Demand for grants 2020-21, Lok Sabha, Standing Committee on Housing and Urban Affairs, September 11, 2020, http://164.100.47.193/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/17_Urban_Development_3.pdf.

201 Report No. 5, Demand for grants 2021-22, Lok Sabha, Standing Committee on Housing and Urban Affairs, March 8, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/17_Urban_Development_5.pdf.

202 Speech of the Minister of Finance, Union Budget 2021-22, February 1, 2021, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf.

203 PM to launch Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 and AMRUT 2.0 on 1st October, Prime Minister's Office, Press Information Bureau, September 30, 2021.

204 National Family Health Survey – 5 (2019-21), Ministry of Health and Family Survey, http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/India.pdf.

205 " PM to launch Ujjwala 2.0 on 10th August ", Press Information Bureau, Ministry of Petroleum and Natural Gas, August 8, 2021.

206 Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 dashboard as accessed on January 18, 2022, Ministry of Petroleum and Natural Gas, https://www.pmuy.gov.in/index.aspx.

207 LPG Connections under PMUY, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Press Information Bureau, December 16, 2021.

208 100 Report No.14 of 2019 - Performance Audit of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Comptroller and Auditor General of India, December 11, 2019.

209 "Cabinet approves Capital Grant as Viability Gap Funding to Indradhanush Gas Grid Limited for setting up the North East Natural Gas Pipeline Grid", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, January 8, 2020.

210 “Year End Review -2020-Ministry of Petroleum & Natural Gas”, Press Information Bureau, Ministry of Petroleum & Natural Gas, December 31, 2020.
211 “Year End Review 2020 – Ministry of Power”, Press Information Bureau, Ministry of Power, December 30, 2020.
212 Saubhagya Dashboard, Ministry of Power, Last accessed on January 17, 2021, https://saubhagya.gov.in/.
213 “Cabinet approves measures to provide liquidity in the Power Sector Dues to the financial stress caused by COVID-19”, Press Information Bureau, Ministry of Power, August 19, 2020.
214 “Cabinet approves measures to provide liquidity in the Power Sector Dues to the financial stress caused by COVID-19”, Press Information Bureau, Ministry of Power, August 19, 2020.
215 “Power Ministry advises Gencos and Transcos to charge Late Payment Surcharge at a rate not exceeding 12% per annum”, Press Information Bureau, Ministry of Power, August 22, 2020.
216 “Union Power Ministry writes to States/UTs extending Rs 90,000 crore package under Atmanirbhar Bharat Abhiyan”, Press Information Bureau, Ministry of Power, May 16, 2020.
217 Pradhan Mantri Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyaan (PM-KUSUM), Ministry of New and Renewable Energy, https://mnre.gov.in/solar/schemes/.
218 Order No. 32/645/2017-SPV Division – “Scale-up and expansion of Pradhan Mantri Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyaan (PM-KUSUM), Ministry of New and Renewable Energy, November 4, 2020, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1604916951612.pdf.
219 Rajya Sabha Unstarred Question No. 1895, Ministry of New and Renewable Energy, December 14, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1895.pdf.
220 Aajeevika - National Rural Livelihoods Mission, Ministry of Rural Development, last accessed on January 5, 2021, https://aajeevika.gov.in/.
221 Demand No. 86, Ministry of Women and Child Development, Union Budget 2021-22, https://openbudgetsindia.org/dataset/4ab597d3-cfc2-493b-95d6-488e9a22de70/resource/4dcdff99-211e-4ee2-9dd4-b2d5448034c9/download/department-of-land-resources.pdf.
222 G1: SHGs Under NRLM, Ministry of Rural Development, last accessed on January 18, 2022, https://nrlm.gov.in/shgOuterReports.do?methodName=showShgreport.
223 Unstarred Question No. 1,987, Lok Sabha Questions, Ministry of Health and Family Welfare, July 30, 2021, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/176/AU1987.pdf.
224 “'One Stop Centre' Scheme for Women Victims”, Press Information Bureau, Ministry of Women and Child Development, December 15, 2021.
225 Scheme On Fast Track Special Courts (FTSC) For Expeditious Disposal Of Cases Of Rape And Protection Of Children Against Sexual Offences (POCSO) Act, Ministry of Law and Justice, 2019, https://doj.gov.in/sites/default/files/Fast%20Track%20Special%20Courts%20Scheme%20guidelines%202019.pdf.
226 “914 Fast Track Courts are functional for heinous crimes, crimes against women and children”, Press Information Bureau, Ministry of Law and Justice, December 17, 2021.
227 Cabinet approves setting up of National Nutrition Mission, Ministry of Women and Child Development, December 1, 2017, https://icds-wcd.nic.in/nnm/NNM-Web-Contents/UPPER-MENU/AboutNNM/PIB_release_NationalNutritionMission.pdf.
228 Poshan tracker, last accessed on January 12, 2022, https://poshantracker.in/statistics/.
229 Female Employees in Defence Services, Ministry of Defence, Press Information Bureau, March 22, 2021.
230 REPRESENTATION OF WOMEN IN DEFENCE FORCES, Ministry of Defence, Press Information Bureau, December 10, 2021.
231 The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/The%20Transgender%20Persons%20(Protection%20of%20Rights)%20Act,%202019.pdf.
232 G.S.R. 592 (E), Gazette of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, September 25, 2020, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222096.pdf.
233 Unstarred Question 2863, Rajya Sabha, Ministry of Social Justice and Empowerment, December 22, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU2863.pdf.
234 National Portal for Transgender Persons dashboard as accessed on January 19, 2022, Department of Social Justice and Empowerment, https://transgender.dosje.gov.in/Applicant/HomeN/Index.
235 Unstarred Question 1241, Rajya Sabha, Ministry of Social Justice and Empowerment, December 8, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1241.pdf.
236 Short Term Courses (focus on wage/self-employment), Action Plan for PM-DAKSH 2021-22, https://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/AAP_2021_22_PMDAKSH.pdf.
237 “Shri Thaawarchand Gehlot E-Launches ‘National Portal for Transgender Persons’ and E-Inaugurates Garima Greh: A Shelter Home for Transgender Persons in Gujarat
”, Press Information Bureau, Ministry of Social Justice and Empowerment, December 25, 2021, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1675629.
238 Aim and Objectives of Garima Greh, Guidelines for Garima Greh 2020-2021, https://transgender.dosje.gov.in/docs/GarimaGrehGuidleines.pdf.
239 “Ministry of Education forms a National Steering Committee for the Development of National Curriculum Frameworks”, Press Information Bureau, Ministry of Education, September 21, 2021.
240 F. No. 14-31/2018 (CPP-II), University Grants Commission, July 28, 2021, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/u gc_gazette.pdf.
241 Pragyata Guidelines for Digital Education, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, 2020.
242 “Steps taken to provide online education amidst COVID-19 pandemic” https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1695152
243 “Union Finance Minister announces several initiatives to boost Education Sector”, Press Information Bureau, Ministry of Human Resource Development, May 18, 2020.
244 “Year End Review 2019- Department of School Education”, Press Information Bureau, Ministry of Human Resource Development, January 3, 2020.
245 India Report Digital Education, Ministry of Human Resource Development, June 2020, https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf
246 Household Social Consumption on Education (2017-18), Ministry of Statistics and Programme Implementation, July 2020.

247 Rajya Sabha Unstarred Question No. 1062, Ministry of Health and Family Welfare, December 7, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1062.pdf.
248 Rajya Sabha Unstarred Question No. 1964, Ministry of Health and Family Welfare, August 3, 2021, https://pqars.nic.in/annex/254/AU1694.pdf.
249 Lok Sabha Unstarred No. 1622, Ministry of Communications, December 8, 2021, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/177/AU1622.pdf.
250 BharatNet MIS, Ministry of Communication, last accessed on January 13, 2022, http://www.bbnl.nic.in/.
251 Private Sector Participation in Space Sector, Department of Space, Press Information Bureau, September 17, 2020.
252 Unstarred Question No. 2259, Lok Sabha Questions, Department of Space, March 4, 2020, http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU2259.pdf.
253 Rajya Sabha Unstarred Question No 1413, Department of Space, December 9, 2021, https://pqars.nic.in/annex/255/AU1413.pdf.
254 Frequently asked questions, Department of Space, Last accessed on January 18, 2021, https://www.isro.gov.in/frequently-asked-questions/gaganyaan.
255 Union Minister Dr Jitendra Singh says, India's maiden human space mission "Gaganyaan" will be launched in 2023, Ministry of Science and Technology, Press Information Bureau, December 9, 2021.
256 Union Minister Dr. Jitendra Singh says ISRO is developing a Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) with private participation to be launched in 1st quarter of 2022, Department of Space, Press Information Bureau, December 16, 2021.